VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था -1

JUNE 2016 – FEB 2017

NOTE: March 2017 to 15th May 2017 current affairs for PT 365 Economy will be updated on our website on third week of May 2017.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति _____ *6*

1.1. वाणिज्यिक बैंक और बैड लोन _____ 6

1.1.1. भारतीय डाक भुगतान बैंक _____ 6

1.1.2. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय _____ 6

1.1.3. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) _____ 7

1.1.4. एक्जिम बैंक _____ 7

1.1.5. लघु वित्त बैंक _____ 7

1.1.6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कमियों को दूर करना _____ 8

1.1.7. दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना _____ 9

1.1.8. ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड _____ 10

1.1.9. SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक _____ 11

1.2. निजी बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान _____ 11

1.3. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड _____ 12

1.4. भारतीय रिज़र्व बैंक _____ 12

1.4.1. RBI के कार्य _____ 12

1.4.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण _____ 13

1.4.3. पीयर-टु-पीयर लेंडिंग _____ 14

1.4.4. पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का प्रस्ताव _____ 14

1.4.5. विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (FCNR) पर RBI के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की मंजूरी _____ 15

1.4.6. बाजार स्थिरीकरण योजना बांड की भूमिका _____ 15

1.5. विमुद्रीकरण तथा कैशलेस अर्थव्यवस्था _____ 16

1.5.1. 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण _____ 16

1.5.2 स्वच्छ धन अभियान _____ 17

1.5.3.भारत QR कोड _____ 17

1.5.4. भीम एप _____ 18

1.5.5. वित्तीय साक्षरता अभियान (गो डिजिटल) _____ 18

1.5.6. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस _____ 19

1.5.7 अमिताभ कान्त समिति _____ 20

1.5.8. डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन _____ 20

1.6. बांड मार्किट एंड सेबी रेगुलेशन _____ 20

1.6.1. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अपतटीय कोष प्रबंधक _____ 20

1.6.2. एंजेल निवेशक _____ 20

1.6.3. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग _____ 21

1.7 गोल्ड बॉन्ड _____ 21

1.8. ग्रीन बॉण्ड _____ 21

1.9. इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज _____ 22

VISION IAS

1.10. मसाला बांड 22

1.11. रोज वैली प्रकरण 23

2. राजकोषीय नीति *24*

2.1. बजट संबंधी सुधार 24

2.1.1. रेल बजट समाप्त 24

2.1.2. बजट प्रस्तुत करने की तिथि में बदलाव 24

2.1.3 योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय 24

2.1.4. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग 25

2.2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 25

2.3. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: कैग रिपोर्ट 26

2.4. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ 26

2.5. पेन्शन प्रोडक्ट्स का विनियमन 26

2.6. वित्तीय डेटा प्रबंधन केन्द्र 27

2.7. समतुल्यीकरण लेवी / गूगल टैक्स 27

2.8. शंकर आचार्य समिति 28

2.9. FRBM समिति 28

3. कराधान *29*

3.1. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स 29

3.2. राजस्व ज्ञान संगम 29

3.3. प्रभावी प्रबंधन स्थल 29

3.4. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता 30

3.5. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक , 2016 30

3.6. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 31

3.7. कर-जीडीपी अनुपात 32

3.8. टैक्स टेररिज्म 32

3.9. सक्षम परियोजना (Project Saksham) 32

3.10. प्रोजेक्ट इनसाइट 33

3.11. फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिक्रूटमेंट कमिटी 34

3.12. PSUs सुधार: विनिवेश नीति 34

3.13. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016 35

4.बाह्य क्षेत्रक *36*

VISION IAS

4.1. चालू खाता अधिशेष की स्थिति 36

4.2. व्यापार सुविधा (ट्रेड फैसिलिटेशन) पर राष्ट्रीय समिति 36

4.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव 37

4.3.1. व्हाइट लेबल ATM में 100% FDI 38

4.4. FIPB को समाप्त किया जाएगा 38

4.5. द्विपक्षीय निवेश संधि 39

4.6. आर्बिट्रेशन तंत्र 39

4.6.1. भारत का पहला वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन केन्द्र 39

4.6.2. सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 39

4.6.3. एंट्रिक्स-देवास मामला 40

4.7 मल्टीलैटरल कम्पीटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट फॉर कंट्री-बाई कंट्री रिपोर्टिंग (CBC MCAA) 40

4.8. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) 41

4.9. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन 41

4.10 मार्केट इकोनोमी स्टेटस 41

4.11. बाह्य वाणिज्यिक उधारी 42

4.12 काम्प्रिहेन्सिव इकॉनोमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 42

4.13. वैश्विक निवेश समझौता 42

4.14 इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फाइनेंसियल कमिटी 43

4.15. जॉइंट इंटरनेशनल टास्कफोर्स ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस एंड कोलैबोरेशन (JITSCIC) 43

4.16. पी नोट्स 43

4.17 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) 44

4.18 डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) 44

5. रोजगार एवं कौशल विकास *45*

5.1. MSME में महिला रोजगार योजनाएं 45

5.1.1. ट्रेड रिलेटेड इंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट(TREAD) स्कीम 45

5.1.2. महिला कॉयर योजना 45

5.2 स्टार्ट-अप के लिए पहल 45

5.2.1 लांचपैड 45

5.2.2 एस्पायर 45

5.2.3 स्टार्ट-अप्स को लालफीताशाही से राहत 45

5.2.4 स्टार्ट-अप के वित्तीयन हेतु फंड ऑफ़ फंड्स 46

5.2.5. स्टैंड अप इंडिया योजना 46

5.2.6. प्रधानमंत्री युवा योजना 47

VISION IAS

5.3. कौशल विकास के लिए पहलें 47
5.3.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 47
5.3.2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना 47
5.3.3. कौशल बैंक 48
5.3.4. तेजस्विनी परियोजना 48
5.4 नेशनल करियर सर्विस 48
5.5 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 49
5.6 स्फूर्ति 49
5.7 कॉयर उद्यमी योजना 49
6. समावेशी संवृद्धि और विकास 50
6.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का प्रदर्शन 50
6.2. अटल पेंशन योजना (APY) 50
6.3. कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की पेशकश 50
6.4. वित्तीय समावेशन 51
6.4.1. 94.4% परिवारों में बैंक खाते 51
6.4.2. ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट 2016 51
6.5. "सभी के लिए आवास" 52
6.5.1. ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" 52
6.5.2. PMAY- शहरी घटक 53
6.6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 53
6.7. इंडिया रेस्पोंसिबल बिजनेस इंडेक्स 53
6.8.MSME सेक्टर के लिए प्रारम्भ की गईं पहलें 54
6.8.1. भारतीय उद्यम विकास सेवा (IEDS) 54
6.8.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति हब 54
6.8.3 जीरो डिफेक्ट-जीरो इफ़ेक्ट (ZED) स्कीम 54
6.8.4. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम 54
6.9. घरेलू आस्तियां और ऋणग्रस्तता 55

VISION IAS

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति

BANKING AND MONETARY POLICY

1.1. वाणिज्यिक बैंक और बैड लोन

(Commercial Banks and Bad Loans)

1.1.1. भारतीय डाक भुगतान बैंक

(India Post's Payment Bank:IPPB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IPPB की स्थापना हेतु 800 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है।

महत्त्व

वित्तीय समावेशन :

- प्रखंड, तालुकों और गांवों इत्यादि तक वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुंच और प्रसार को सुनिश्चित करना।
- दूरदराज के क्षेत्रों में डेबिट सुविधा का प्रदान किये जाने का प्रावधान।

भुगतान बैंक क्या हैं?

- भुगतान बैंक सामान्य बैंकों की तरह पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले बैंक नहीं होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन में तेजी लाना है।
- भुगतान बैंक मुख्य रूप से विप्रेषण (रेमिटेंस) सेवाओं के लिए होंगे और 1 लाख रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर सकेंगे।
- वे ग्राहकों को ऋण नहीं देंगे और उन्हें अपने धन को सरकारी बांड में लगाना होगा या सामान्य बैंकों में जमा राशि के रूप में रखना होगा।
- वे मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- इक्विटी पूंजी के लिए प्रवर्तकों की न्यूनतम प्रारंभिक योगदान राशि पहले पांच वर्षों के लिए कम से कम 40% होनी चाहिए।

1.1.2. भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों का विलय

(Merger of SBI Associated Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT), (गैर-सूचीबद्ध) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP) और भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय हो गया।

कुछ तथ्य

- इस विलय के साथ SBI का परिसंपत्ति आधार, 22,500 शाखाओं और 58,000 एटीएम के साथ 37 लाख करोड़ रुपये या 555 अरब डॉलर से अधिक का हो जाएगा। अब इसके 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हो जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, SBI की बाजार हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो जाएगी।
- 36 देशों में विस्तृत 191 विदेशी कार्यालयों के साथ SBI की लगभग 16,500 शाखाएं हैं।

विलय के लाभ

- इसके चलते ट्रेजरी ऑपरेशन्स, ऑडिट, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित खर्चों में कमी आएगी। साथ ही तरलता का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
- इसके द्वारा बेसल-III मानकों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इससे बैंक की 21.5 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां बढ़कर 28.25 लाख करोड़ हो जाएगी।

VISION IAS

- ग्राहकों और परिसंपत्तियों का विविधीकरण।
- कम बैंकों के कारण बेहतर निगरानी और विनियमन।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
- चूंकि SBI ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए प्रक्रियाओं का उन्नयन कर रहा है, अतः इस विलय के बाद छोटे बैंकों के ग्राहकों को ऋण दरों के लिए एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।

बेसल III

- बेसल III, ***बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न*** द्वारा जारी किया गया एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियामक समझौता (accord) है।
- इसका उद्देश्य 2008 के संकट के बाद की वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाना है।
- यह बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रबंधन में सुधार हेतु डिजाइन किया गया है।
- जनवरी 2013 से चरणबद्ध तरीके से भारत में बेसेल III मानदंडों को अपनाया जा रहा है।

1.1.3. घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBS)

(Domestic Systemically Important Banks [D-SIBs])

सुर्ख़ियों में क्यों?

रिजर्व बैंक ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक SBI तथा निजी क्षेत्र के बैंक ICICI की घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) के रूप में पहचान की है।

यह क्या है?

- SIBs को वस्तुतः देश में कुछ बड़े बैंकों के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन बैंकों पर निर्भर होती है। इन्हें 'Too Big To Fail (TBTF)' की संज्ञा दी जाती है, इसका कारण यह है कि संकट के समय में इन बैंकों को सरकार द्वारा समर्थन दिए जाने की उम्मीद होती है। फलतः वित्तीय बाजार में ये बैंक इन मान्यताओं के कारण निश्चित लाभ की स्थिति में होते हैं।
- SIBs के दो प्रकार हैं:-

✓ वैश्विक SIBs; इनकी पहचान ***बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न*** द्वारा की जाती है।

✓ घरेलू SIBs; देश के केंद्रीय बैंक द्वारा।

1.1.4. एक्जिम बैंक

(EXIM Bank)

- **एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम बैंक)** भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य **भारतीय विदेश व्यापार का वित्तपोषण, सुगम बनाना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना** है।
- एक्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में स्थित अन्य संस्थाओं को लाइन ऑफ़ क्रेडिट (LoC) प्रदान करती है।
- इस प्रकार एक्जिम बैंक आयातक देशों के खरीदारों को भारत से विकासात्मक और अवसंरचनात्मक उपकरण (equipments) एवं वस्तु और सेवाओं को डीफर्ड क्रेडिट टर्म्स (deferred credit terms) पर क्रय करने हेतु सक्षम बनाता है।
- इसके अतिरिक्त बैंक विदेशों में स्थित भारतीय कंपनियों को संयुक्त उद्यम की स्थापना एवं सहायक या विदेशी कम्पनियों के अधिग्रहण (subsidiaries or overseas acquisitions) के लिए भी निवेश की सुविधा प्रदान करता है।

1.1.5. लघु वित्त बैंक

(Small Finance Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **हाल ही में सूक्ष्म ऋणदाता (माइक्रो लेंडर्स), सूर्योदय एवं उत्कर्ष** ने **लघु वित्त बैंकों (SFBs)** का परिचालन शुरू कर दिया है।

VISION IAS

- इन बैंकों ने अन्य वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु बचत बैंक जमाओं पर 6% से अधिक की ब्याज दरों का प्रस्ताव रखा है। अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत खातों पर 4% ब्याज प्रदान किया जाता है।

लघु वित्त बैंक (SFBs) क्या हैं?

- वित्तीय समावेशन पर गठित नचिकेत मोर की समिति द्वारा SFBs की अनुशंसा की गयी थी।
- लघु वित्त बैंक **निच बैंक (niche bank) (आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से** और **उसकी आवश्यकताओं पर केन्द्रित बैंक**) हैं, जो कमजोर वर्गों के मध्य ऋण देने की गतिविधि को संपादित करते हैं।
- SFBs वस्तुतः वाणिज्यिक बैंकों के ***स्केल्ड डाउन वर्ज़न*** (scaled down versions) हैं, जो **जमा स्वीकार करने** एवं **ऋण देने के कार्यों** को संपादित करते हैं।

SFBs की विशेषताएँ:

- बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति (resident individual)/पेशेवर; तथा निवासियों के स्वामित्वाधीन कंपनियां एवं सोसाइटीज़ लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए पात्र होंगी।
- SFBs के लिए न्यूनतम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपये होगा।
- SFBs मुख्य रूप से सेवा से वंचित और अल्पसेवा प्राप्त तबकों, जिनके अंतर्गत छोटी कारोबारी इकाइयां, छोटे व सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाएं शामिल हैं, से जमाराशि स्वीकारने तथा उनको ऋण देने का कार्य करेगा।
- SFBs पेंशन, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड और बीमा की बिक्री कर सकते हैं एवं यह एक पूर्ण बैंक में भी परिवर्तित हो सकते हैं।

1.1.6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कमियों को दूर करना

(Fixing PSU Banks)

पृष्ठभूमि

- हमारे बैंक कई गैर-निष्पादित ऋणों तथा धीमे ऋण विस्तार से प्रभावित हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में इसे **भारतीय विशेषताओं के साथ 'बैलेंस शीट सिंड्रोम'** (Balance Sheet Syndrome with Indian Characteristics) कहा गया है।
- कांट्रेक्टिंग क्रेडिट कंडीशन (contracting credit condition): कॉर्पोरेट लाभ कम होते जा रहे हैं, जबकि ऋणों में बढ़ोत्तरी हो रही है। इस कारण कंपनियों को नकदी प्रवाह को सुरक्षित रखने के लिए निवेश में कटौती के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। (ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अर्थात् दोहरे तुलन पत्र की समस्या)

ट्विन-बैलेंस शीट प्रॉब्लम (दोहरे तुलनपत्र की समस्या)

- ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कॉरपोरेट बैलेंस शीट और बैंक बैलेंस शीट से संबंधित है।
- कॉर्पोरेट परियोजनाओं में विलंब, ऋणों को चुकाने में समस्या का कारण बन रहा है।

समाधान

- इसके लिए 4 मोर्चों पर कार्यवाही की आवश्यकता है: रिकग्निशन, रीकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म। (4 **R**: Recognition, Recapitalization, Resolution and Reform)

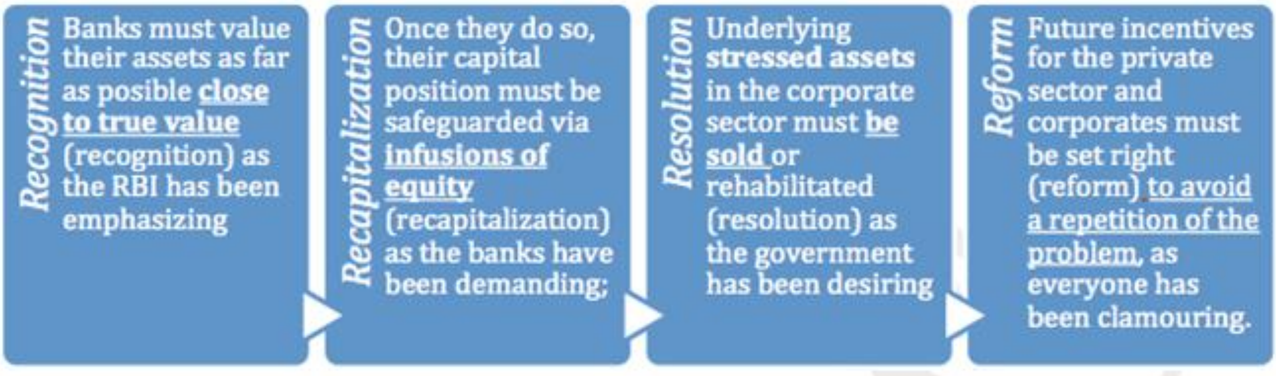

VISION IAS

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation)की आवश्यकता

- पुनर्गठित परिसंपत्तियों (restructured assets) और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) को वर्तमान में अर्जक परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा अगले दो वर्षों में अनर्जक परिसंपत्ति में तब्दील हो सकता है। ऐसी स्थिति में:

✓ पूँजी निर्माण में मुनाफे के योगदान के बहुत कम होने की संभावना है।

✓ बाजार से पूंजी जुटाने की संभावना में भी कमी आ सकती है, क्योंकि सार्वजनिक बैंकों के शेयरों में भी गिरावट आएगी।

- **उठाए गए कदम**: आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तावित सुझावों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में निर्मित भंडार से लाभांश की विशेष घोषणा का उपयोग करते हुए पुनर्पूंजीकरण किया गया।

✓ इंद्रधनुष योजना लागू की जा रही है।

इंद्रधनुष योजना

- PSU बैंकों की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए 2015 में यह योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना में 7 बिंदु है जिनमें अपॉइंटमेंट (appointments), बोर्ड ऑफ ब्यूरो (board of bureau), कैपिटलाइजेशन (capitalisation), डी-स्ट्रेसिंग (de-stressing), एम्पावरमेंट (empowerment) फ्रेमवर्क ऑफ़ एकाउंटेबिलिटी (framework of accountability) शामिल हैं।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

- इसे PSU बैंकों के एग्जीक्यूटिव्स को नियुक्ति करने का कार्य सौंपा गया है।
- यह बैंकों को वित्त संग्रहण योजनाओं (capital raising plans) और व्यावसायिक रणनीतियों के कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान

- सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत "बैड बैंक (bad bank)" की स्थापना, जो इस तरह के बैड लोन बैंकों से खरीदेगा और संभवतः निजी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की मदद से ऋण वापसी के प्रयास करेगा।

उठाए गए कदम:

- निवेशकों और नए प्रबंधन से नई पूंजी के प्रवाह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दो योजनाएं तैयार की हैं। रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (Strategic debt restructuring scheme) और दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना **(Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets-S4A)**
- निजी भागीदारों की साहयता से परिचालित होने वाला प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) वस्तुतः SDR तंत्र के माध्यम से चल रही दबावग्रस्त अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इक्विटी और नए ऋण प्रदान करेगा।

NIIF क्या है?

- यह देश में बुनियादी ढांचे के वित्तीयन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक फण्ड है।
- यह SEBI में श्रेणी II वैकल्पिक निवेश फंड (category II alternative investment fund) के रूप में पंजीकृत है।
- यह बुनियादी ढांचागत विषयों सहित अवरुद्ध परियोजनाओं के विकास के लिए एक तरह का सॉवरेन फंड है। यह भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फण्ड है।

1.1.7. दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना

(Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets-S4A)

लक्ष्य

- दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए ऋणदाताओं को अधिक सक्षम बनाना।
- वास्तविक कठिनाइयों का सामना करने वाली संस्थाओं की वित्तीय संरचना में संशोधन के माध्यम से वास्तविक आस्तियों को पुनः ट्रैक पर लाना।

VISION IAS

NPAs और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड एसेट्स) के बीच अंतर:

- **स्ट्रेस्ड एसेट्स** - यह एक व्यापक शब्द है जिसमे NPAs, रीस्ट्रक्चर्ड लोन और रिटेन ऑफ एसेट्स शामिल होते हैं।
- **NPAs (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स या अनर्जक परिसम्पत्तियाँ)** - ऐसा ऋण जिसकी ब्याज / क़िस्त 90 से अधिक दिनों से प्राप्त नहीं हो रही है।
- **रीस्ट्रक्चर्ड लोन (Restructured Loans)** - ऐसी परिसंपत्तियाँ/ऋण जिन्हें भुगतान के लिए लंबी अवधि देकर, ब्याज को कम करके या उन्हें इक्विटी में परिवर्तित करके पुनर्गठित किया जाता है।
- **रिटेन ऑफ एसेट्स (Written off Assets)** - ऐसी परिसंपत्तियाँ/ऋण जिन्हें बकाया के रूप में नहीं गिना जाता है। इनकी पूर्ति किसी अन्य तरीके से की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **5:25 योजना:** यह बैंकों को विभिन्न परियोजनाओं में नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए, प्रत्येक 5 या 7 वर्षों में पुनर्वित्तीयन के साथ, 20-25 वर्षों की लंबी अवधि के ऋण देने की अनुमति देता है।
- **समझौता निपटान (Compromise Settlement) योजनाएँ।**
- **रणनीतिक ऋण पुनर्गठन** (SDR)- उधारदाताओं का समूह किसी बीमार कंपनी में अपने ऋण के एक हिस्से को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकता है; इसके लिए उधारदाताओं के पास कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
- **कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (CDR)** तंत्र और संयुक्त ऋणदाता फोरम।

1.1.8. ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड

(Insolvency and Bankruptcy Board)

- केंद्र ने **एम. एस. साहू** की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक चार सदस्यीय, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) का गठन किया है।
- IBBI का मुख्य कार्य केंद्र द्वारा पूर्व में अधिसूचित दिवालियापन संहिता 2016 के तहत ऋणशोधन अक्षम (दिवाला) पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों तथा दिवाला और सूचना उपयोगिताओं (information utilities) के कामकाज को विनियमित करना होगा।

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016)

- वर्तमान में कानूनों की बहुलता- जैसे कंपनी अधिनियम, SARFAESI अधिनियम, सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट आदि के कारण ऋणशोधन एवं दिवालियापन (इन्सोल्वेंसी और बैंकरप्सी) के समाधान में देरी होती है। इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु इसको लाया गया है।

कानून की मुख्य विशेषताएं

- विस्तृत कानूनी स्पष्टता के लिए एक एकीकृत कोड।
- इन्सोल्वेंसी या बैंकरप्सी के मामलों को हल करने के लिए 180 दिनों की समयसीमा जिसे 90 दिनों तक और बढाया जा सकता है।
- इन्सोल्वेंसी और सूचनात्मक उपयोगिता से निपटने वाले पेशेवरों / एजेंसियों को विनियमित करने के लिए एक नया नियामक- द इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया (IBBI) बनाया गया है।
- कंपनियों, सीमित दायित्व (लिमिटेड लायबिलिटी) संस्थाओं के बैंकरप्सी सम्बन्धी मामलों को हल करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) विद्यमान है। जबकि व्यक्तियों और असीमित दायित्व भागीदारी (अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टिसिपेशन) फर्मों के मामलों का निर्णयन करने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) है।
- एक बार डिफाल्टर हो जाने के बाद इसमें ऋणी स्वयं इन्सोल्वेंसी -रिज़ॉल्यूशन (insolvency-resolution) प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है।
- लेनदारों के विभिन्न वर्गों के दावों की प्राथमिकता तय करना और सीमा-पार इन्सोल्वेंसी को हल करने के लिए भी इसमें विभिन्न प्रावधान हैं।

VISION IAS

1.1.9. SARFAESI और DRT अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक

(Bill to Amend Sarfaesi and DRT Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विधेयक में इन मुद्दे के समाधान की कोशिश की गयी है। यह निम्नलिखित चार अधिनियमों में संशोधन करेगा:

✓ SARFAESI अधिनियम, 2002

✓ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋणों की वसूली कानून, 1993 (The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993)

✓ द इंडियन स्टाम्प एक्ट (भारतीय स्टाम्प अधिनियम), 1899;

✓ द डिपोजिटरी एक्ट, 1996

> **SARFAESI:** सारफेसी कानून को वस्तुतः किसी भी अदालत या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना आवासीय या वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके चलते परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का गठन हुआ, ताकी बैंक ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने में सक्षम हो जाएँ।
>
> **ऋण वसूली न्यायाधिकरण:** दीवानी अदालतों के विकल्प के तौर पर इन्हें ऋणों के प्रवर्तन तथा वसूली के लिए सृजित किया गया है। यह ऋण वसूली के लिए एक तीव्र एवं आसान प्रक्रिया सुलभ कराता है।

विधयेक की मुख्य विशेषताएं

- **SARFAESI**

✓ यह बैंकों को 30 दिनों के भीतर जमानत सुरक्षा (collateral security) पर अधिकार करने की अनुमति देता है। विजय माल्या विवाद के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है।

✓ ARCs तक भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों का विस्तार;

  - भारतीय रिजर्व बैंक के पास ARC की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण हेतु अधिक शक्तियां होंगी और इसके अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को हटाने तथा किसी केंद्रीय बैंक के अधिकारी को इसके बोर्ड में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
  - RBI के पास इसके निर्देशों का पालन न करने की दशा में दंड आरोपित करने का अधिकार होगा, और वह ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने के समय बैंकों के लिए इन ARCs द्वारा आरोपित शुल्क को नियंत्रित कर सकेगा।

- **DRT**

✓ वसूली आवेदन पत्रों, दस्तावेजों और लिखित वक्तव्यों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन DRTs की ओर बढ़ने की बात कही गयी है।

✓ समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना।

✓ लेनदारों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। अपील दाखिल करने के लिए ऋण का 50% DRT के पास जमा करना होगा।

- **ARCs**

✓ ARC , NPA को तय कीमतों पर बैंकों से ले लेता है। यह तय कीमतें NPA राशि से कम होती हैं ।

✓ NPA को उस सिक्यूरिटी जिसे ऋण लेते समय गिरवी रखा गया था, के साथ ARC को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

✓ ARC निश्चित ब्याज दर के लिए सिक्यूरिटी रसीदें जारी करता है और इस प्रकार यह धन जुटाता है। (इस एकत्रित किए गए धन का वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जा सकता है)

1.2. निजी बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान

(Provident Fund Contribution Via Private Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र के बैंकों सहित भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के भविष्य निधि (PF) में अंशदान करने हेतु अनुमति दी है।

VISION IAS

EPFO क्या है?

- यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- यह निम्नलिखित को प्रशासित करता है:
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना
- कर्मचारी पेंशन योजना
- भारत में संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (Deposit linked Insurance Scheme)।
- इसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees: CBT- श्रम मंत्री की अध्यक्षता में) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

1.3. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड

(Credit Enhancement Guarantee Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **सरकार ने 2016-17 के केंद्रीय बजट में क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड** के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को चुना था।

क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड के बारे में

- **यह गारंटी का अतिरिक्त स्रोत** प्रदान करता है कि **उधारकर्ता अपने ऋण पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।**
- **यह ऋण लेने वालों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में** भी मदद करता है।
- इसकी आरंभिक पूंजी (सीड कैपिटल) 1500 करोड़ रुपये की है और यह **40,000 करोड़ रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गारंटी** प्रदान करने में सक्षम होगा।

1.4. भारतीय रिज़र्व बैंक

(Reserve Bank of India)

1.4.1. RBI के कार्य

(Functions of RBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वायत्तता पर सवाल उठाए गए थे।

RBI और इसके प्रकार्य:

- **RBI एक्ट, 1934** के प्रावधानों के तहत इसे 1935 में स्थापित किया गया था।
- RBI के सात प्रमुख प्रकार्य हैं:

✓ **नोट मुद्रित करना :** RBI के पास नोटों को मुद्रित करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार है। भारत सरकार के पास सिक्कों के टकसाल (ढलाई) और एक रुपए के नोटों को निर्गम करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार है।

✓ **सरकार का बैंकर:** यह सरकार के जमा खातों का प्रबंधन करता है। यह IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) और विश्व बैंक के एक सदस्य के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

✓ **वाणिज्यिक बैंक जमाओं का अभिरक्षक (कस्टोडियन)**

✓ **देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक**

✓ **अंतिम ऋणदाता:** वाणिज्यिक बैंक आपात स्थितियों में अपनी मौद्रिक जरूरतों के लिए RBI के पास ही आते हैं।

✓ **सेंट्रल क्लीयरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट्स:** चूंकि RBI वाणिज्यिक बैंकों के CRR को अपने पास रखता है, अतः यह आसानी से उनके (वाणिज्यिक बैंकों के) विनिमय विपत्रों (बिल ऑफ़ एक्सचेंज) का रिडिस्काउंट (पुनर्बट्टा करना) कर देता है।

✓ **साख नियंत्रण (Credit Control):** यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

VISION IAS

- RBI के गवर्नर की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार हाथों में होती है और वह केन्द्र सरकार के प्रसादपर्यंत अपना पद (कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं) धारण करता है।

मौद्रिक नीति समिति

- एक छः सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन प्रमुख नीतिगत दरों को निर्धारित करने के लिए किया गया।
- पैनल में भारतीय रिजर्व बैंक से तीन सदस्य हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी शामिल हैं।
- अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एक पैनल की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- मौद्रिक नीति समिति में टाई (मतों के बराबरी) की स्थिति में निर्णायक मत RBI के गवर्नर के पास होगा।

1.4.2. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

(Inflation Targeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने मुद्रास्फीति (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-CPI) के लिए 2021 तक +/- 2 अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ 4% का लक्ष्य अधिसूचित किया है।

यह क्या है?

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का तात्पर्य वस्तुतः **मौद्रिक नीति की रणनीति** से है। इस रणनीति के तहत सर्वप्रथम मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके पश्चात नीति निर्माण इस तरह से किया जाता है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- RBI ने आधिकारिक तौर पर **फरवरी 2015** में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को **मौद्रिक नीति रणनीति** के रूप में अपनाया।
- इसके तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य को **प्रत्येक पांच वर्षों** में एक बार संशोधित किया जाएगा।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा करने के लिए RBI ब्याज दरों में वृद्धि या कमी करेगी।**

WPI

- इसमें तीन घटक शामिल हैं
- ✓ विनिर्मित उत्पाद = लगभग 65%
- ✓ प्राथमिक वस्तुएं = लगभग 20%
- ✓ ईंधन और बिजली = लगभग 15%
- थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में कुल 676 मदें शामिल हैं - इनमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिनकी कीमत थोकबिक्री /निर्माता के स्तर पर ही कैप्चर कर ली जाती हैं। CPI सेवाओं को भी सम्मिलित करते हुए रिटेल स्तर पर ही मुद्रास्फीति का मापन करता है।
- इसका मापन 2004-05 को आधार वर्ष मानकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

CPI

- थोक मूल्य सूचकांक के अलावा, भारत में उपभोक्ता स्तर पर मुद्रा स्फीति की गणना CPI के भारित माध्य द्वारा भी की जाती है। उपभोग बास्केट में उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में व्यापक विभिन्नताओं/विषमताओं के कारण भारत ने चार प्रकार के CPIs को अपनाया है।
- ✓ CPI (औद्योगिक श्रमिक)
- ✓ CPI (शहरी गैर- मैनुअल कर्मचारी)
- ✓ CPI (कृषक श्रमिक)
- ✓ CPI (ग्रामीण श्रमिक)

VISION IAS

- भारत में RBI, मुद्रास्फीति के निर्धारण के लिए 2012 को आधार वर्ष मानकर CSO द्वारा जारी किये गए CPI (संयुक्त) का प्रयोग करता है ।
- CPI बास्केट में मदों की संख्या में 448 ग्रामीण और 460 शहरी मदें शामिल हैं।

PPI

- उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index) सूचकांकों का एक समूह है जो समय के साथ घरेलू निर्माताओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है।
- यह विक्रेता के दृष्टिकोण से कीमत में बदलाव को मापता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे अन्य सूचकांको से भिन्न होता है, जो क्रेता के दृष्टिकोण से कीमत में बदलाव को मापता है।
- PPI उत्पादन के तीन क्षेत्रों से सम्बंधित है:

✓ उद्योग आधारित,
✓ वस्तु आधारित और
✓ कमोडिटी - अंतिम तथा मध्यवर्ती मांग पर आधारित

- RBI को **4% (±2 %) CPI मुद्रास्फीति** का लक्ष्य प्राप्त करना होगा।
- अर्थात अब न्यूनतम 2% एवं अधिकतम 6% की मुद्रास्फीति होनी चाहिए।
- यह लक्ष्य मार्च 2021 तक के लिए निर्धारित है।
- यदि **CPI** मुद्रास्फीति **लगातार तीन तिमाहियों** तक निर्धारित लक्ष्य से दायरे से बाहर होगी, तो इसे मौद्रिक नीति की असफलता माना जाएगा।
- RBI को इसके कारण और इसे दूर करने के उपाय बताने होंगे।

1.4.3. पीयर-टु-पीयर लेंडिंग

(P2P Lending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयर-टु-पीयर लेंडिंग के लिए नियामक मानदंड बनाने हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया है।
- इसके अंतर्गत नियामक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्र प्रस्तावित किये गए हैं- परमिटेड एक्टिविटीज, रिपोर्टिंग, प्रूडेंशियल,गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, बिज़नेस कंटिन्यूटी और कस्टमर इंटरफ़ेस।

पीयर-टु-पीयर लेंडिंग क्या है?

- यह ऋण वित्तपोषण की एक विधि है जो बिना किसी वित्तीय संस्था की मध्यस्थता के लोगो को धन उधार लेने और देने में सक्षम बनाती है।
- पीयर-टु-पीयर लेंडिंग एक आनलाइन मंच के उपयोग के रूप में उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाता है। ऋणदाता अपनी बचत/निवेश को एक खाते में ऋण देने के लिए डाल देता है और उस पर उसे ऊँची दर से लाभ प्राप्त होता है।
- Faircent और LenDen देश में दो प्रमुख ऑनलाइन ऋण पोर्टल हैं।

1.4.4. पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का प्रस्ताव

(Proposed Payment Regulatory Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **RBI ने भारत में भुगतान व्यवस्था (पेमेंट रिजीम) पर गठित रतन वटल समिति** की अनुशंसा पर असहमति जताई है ।इस समिति ने विशेष रूप से नए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी ।
- **वटल कमेटी ने भारत में डिजिटल भुगतान ढांचे में प्रतिस्पर्धा एवं नवोन्वेष को बढ़ावा देने हेतु एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड** (RBI से स्वतंत्र) के गठन की सिफारिश की।

VISION IAS

- वर्तमान समय में **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System: BPSS) भारत में भुगतान के सिस्टम को** नजरअंदाज करता है।

BPSS के बारे में

- **यह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति है।**
- **यह भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण** करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- इसे **नीतियों को प्राधिकृत और विहित करने और देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मानकों की स्थापना** हेतु सशक्त बनाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऐक्ट, 2007 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।

1.4.5. विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (FCNR) पर RBI के कदम को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की मंजूरी

(RBI's Steps on FCNR Get FSDC NOD)

पृष्ठभूमि

- 2013 में रुपया डॉलर के मुकाबले 68.85 पर अपने सबसे निचले स्तर पर था और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्वांटीटेटिव इजिंग की आशंका से मुद्रा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की संभावना विद्यमान थी।
- इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी मुद्रा जमा (FCNR, अपतटीय कॉर्पोरेट ऋण आदि) में बढोत्तरी करने को कहा ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में और वृद्धि हो जाए।
- बैंकों ने FCNR के माध्यम से लगभग 34 अरब डॉलर जुटाए।
- इसके बाद रिज़र्व बैंक ने फॉरवर्ड डॉलर की खरीदारी कर आगे की रणनीति के लिए खुद को तैयार किया।

FCNR खाता क्या है?

यह एक प्रकार का टर्म डिपॉज़िट (सावधि जमा) खाता है जो विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार FCNR बचत खाते नहीं होते हैं बल्कि सावधि जमा खाते होते हैं।

इस खाते में कौन-सी विदेशी मुद्राओं को रखा जा सकता है?

स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय किसी भी विदेशी मुद्रा को इसमें रखा जा सकता है, जैसे- अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना आदि।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और अंतर- नियामक समन्वय बढ़ाने के लिए तथा तंत्र को संस्थागत रूप देने और मजबूत बनाने के लिए इसका गठन किया गया था।
- इस परिषद् के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं और सेबी, इरडा, भारतीय रिजर्व बैंक, PFRDA जैसी वित्तीय नियामक संस्थाओं के मुख्य अधिकारी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव आदि इसके सदस्य होते हैं।

1.4.6. बाजार स्थिरीकरण योजना बांड की भूमिका

(Role of Market Stabilisation Scheme Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर दी है।

MSS योजना क्या है?

- MSS रिज़र्व बैंक को तरलता प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया है।
- बाजार से अतिरिक्त तरलता को सोखने हेतु
- पहली बार फरवरी 2004 में इसका प्रयोग किया गया था।उस समय देश में डॉलर की आवक बढ़ गई थी जिसे रुपए में परिवर्तित किया जाना आवश्यक था।

VISION IAS

- उगाही गयी धन-राशि, एक पृथक बाजार स्थिरीकरण योजना खाते (MSSA) में जमा होती है। इससे सरकारी व्यय नहीं किया जाता है।

1.5. विमुद्रीकरण तथा कैशलेस अर्थव्यवस्था

(Demonetization and Cashless Economy)

1.5.1. 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण

(Demonetisation of 500 and 1000 Rs Notes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 500 और 1000 रुपए के (पुराने) नोट अब वैध मुद्रा (लीगल टेंडर) नहीं होंगे।

विमुद्रीकरण क्या है?

- यह एक वित्तीय कदम है, जहां किसी करेंसी (मुद्रा) के वैध मुद्रा के दर्जे को अमान्य घोषित किया जाता है।
- यह आमतौर पर तब किया जाता है, जब पुरानी मुद्राओं को नयी मुद्राओं से प्रतिस्थापित किया जाना हो।

पृष्ठभूमि

आरंभ में काले धन की रफ़्तार पर ब्रेक लगाने हेतु सरकार की कुछ पहलों से हमें इस संबंध में कुछ निश्चित संकेत प्राप्त होते हैं, ये हैं:

- **काला धन और कर अधिरोपण कानून 2015 (Black Money and Imposition of Tax Act 2015)** को लागू किया गया। इसे पारित करने का उद्देश्य 60% कर का भुगतान करके तीन महीने के भीतर विदेशी काले धन का खुलासा करना था।
- इसके अलावा 2016 के आरंभ में कार्यान्वित **आय घोषणा योजना (Income Deceleration Scheme)** के अंतर्गत, नागरिकों को उनकी अघोषित आय की घोषणा करने तथा कर, अधिभार और जुर्माने के रूप में उनके द्वारा घोषित आय के 45% तक की राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी।
- इसके साथ ही **प्रधानमंत्री जन धन योजना** को बड़े पैमाने पर लागू किया गया, जिसके तहत वित्तीय समावेशन से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा तक पहुँच प्रदान की गयी।

विमुद्रीकरण का एक संक्षिप्त इतिहास:

- इसके पूर्व 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था, जहां सरकार ने 1000, 5000 और 10000 रूपये के नोटों को विमुद्रीकृत किया था।
- यह कार्य उच्च मूल्य-वर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 {High Denomination Bank Note (Demonetisation) Act, 1978} के तहत किया गया था।
- 1978 और 2016 के विमुद्रीकरण के बीच प्रमुख अंतर यह कि 1978 की तुलना में 2016 में प्रचलित मुद्रा (उच्च मूल्य-वर्ग की मुद्रा) अधिक मात्रा में है।
- सरकार द्वारा वर्तमान विमुद्रीकरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत किया गया है।

इस कदम से लाभ

- कैशलेस लेनदेन को सुनिश्चित करना।
- आयकर विभाग इस कदम से लाभान्वित होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से अधिक विशिष्ट आंकड़ों को इकठ्ठा किया जा सकेगा जो डिफाल्टरों को पकड़ने में मदद कर सकता है।
- समानांतर ब्लैक इकॉनमी में गिरावट आएगी।
- रियल एस्टेट और उच्च शिक्षा तक मध्यम वर्ग की पहुँच सुनिश्चित कर यह अवसरों में वृद्धि को प्रेरित करेगा।
- व्यवसाय अधिक सुनियोजित (ऑर्गनाइज्ड) और विवरण युक्त (अकाउंटेड) होंगे।
- यह धन प्रेषण/अंतरण में सुधार लाने में मदद करेगा और उधार दरों में भी कमी लाएगा।
- पड़ोसी देशों के ड्रग कार्टेल और आतंकवादियों द्वारा भारत में उच्च मूल्य वाली अवैध मुद्रा की आपूर्ति करने पर रोक लगाएगा।

VISION IAS

विमुद्रीकरण के निहितार्थ

- समानान्तर ब्लैक इकॉनमी की समाप्ति।
- देश में कुल 17 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलन में है, इसमें तीन लाख करोड़ रुपये काला धन होने का अनुमान है।
- जाली करेंसी: देश के अंदर और बाहर दोनों जगह कार्यरत जाली भारतीय करेंसी सिंडिकेट की समाप्ति।
- **रोजगार पर प्रभाव**: भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग प्रणाली के बाहर है। इसलिए, नकदी की कमी से अनौपचारिक क्षेत्र को नुकसान होगा जो अभी भी अपना अधिकांश लेनदेन काश में करता है।
- चुनावों पर प्रभाव: चुनावों को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने हेतु ***वोट-फॉर-नोट पॉलिटिक्स*** में कमी करेगा।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- सर्वप्रथम , इससे राजकोष में अपेक्षाकृत अधिक उधार राशियाँ प्राप्त होंगी, मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार होगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि होगी।
- दूसरा, यह निवेश के अवसरों को पुनर्जीवित करेगा तथा अवसंरचना एवं विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा।
- तीसरा, यह ब्याज दरों को कम करने और आयकर दर को कम करने में सहायक होगा।
- रियल एस्टेट में सुधार: भूमि और संपत्ति की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आएगी ।
- उच्च शिक्षा पर प्रभाव: इससे काले धन में कमी के कारण 'हाई कैपिटेशन फीस' की प्रवृति हतोत्साहित होगी फलत: उच्च शिक्षा लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुलभ होगी।

सुरक्षा पर प्रभाव:

- आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषण (टेरर फाइनैन्सिंग): आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषण जाली करेंसी और हवाला लेनदेन के माध्यम से किया जाता है।
- कश्मीर में अशांतिः कश्मीर घाटी में चार महीने से चल रही अशांति में कमी आई है।
- पूर्वोत्तर में विद्रोह और माओवादी: डोनेशन, उगाही और जबरन वसूली के माध्यम से एकत्र काला धन माओवादियों के लिए एक वरदान होता है। अवैध धन का प्रयोग हथियारों और गोला-बारूद को खरीदने के लिए किया जाता है। इसके फलस्वरूप उपर्युक्त सभी पर रोक लगेगी।

1.5.2 स्वच्छ धन अभियान

(Swacch Dhan Abhiyan)

- आयकर विभाग द्वारा 31 दिसंबर, 2016 तक बड़ी मात्रा में की गयी नकदी जमाओं के ई-सत्यापन के लिए **ऑपरेशन क्लीन मनी** का शुभारंभ किया गया।
- सरकार ने **डेटा एनालिटिक्स** का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक द्वारा वैसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जिनकी नकद जमायें उनके आय कर प्रोफाइल के अनुरूप नहीं हैं।

1.5.3.भारत QR कोड

(Bharat QR Code)

- भारत QR कोड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह मास्टर कार्ड/वीजा/ रुपे प्लेटफार्मों के लिए समान इंटरफ़ेस के रूप में काम करता है और आधार-सक्षम भुगतान और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) की स्वीकृति की सुविधा भी प्रदान करता है।
- यह डिजिटल भुगतान के लिए कार्ड स्वैपिंग मशीनों का उपयोग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी-** भारत QR कोड का उपयोग करते हुए व्यापारियों को केवल एक QR कोड दिखाने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

QR कोड (क्विक रिस्पांस कोड) एक द्वि-आयामी (मैट्रिक्स) मशीन-रीडेबल (machine-readable) बारकोड होता है जिसमें सफ़ेद और काले वर्ग से बने बार कोड होते हैं। यह कोड स्मार्टफोन के कैमरे द्वारा रीड किया जा सकता है।

- यह 360 डिग्री (सभी दिशाओं में), तीव्र गति से पढ़े जाने पाने में सक्षम है।
- QR कोड में 7089 डिजिट संग्रहित किये जा सकते हैं जबकि पारंपरिक बार कोड में अधिकतम 20 डिजिट ही संग्रहित किये सकते हैं।
- इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों ओर सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें त्रुटि सुधार (एरर करेक्शन) की क्षमता है और इसमें संग्रहीत डेटा को रीस्टोर किया जा सकता है भले ही वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या मलिन (डर्टी) हो गया हो।

1.5.4. भीम एप

(Bhim App)

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसम्बर 2016 को एक डिजिटल भुगतान एप्लिकेशन भीम (भारत इंटरफेस फॉर पेमेंट) का शुभारंभ किया।
- एप्लिकेशन का नामकरण डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है।

यह क्या है?

- भीम एक UPI आधारित डिजिटल भुगतान ऐप है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है।
- यह ऐप स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस ऐप द्वारा अन्य यूपीआई खातों या पतों पर पैसा भेजा जा सकता है।
- जिन उपयोगकर्ता के पास UPIनहीं है उन्हें IFSC (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) और MMI (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं।
- एक राशि विशेष के लिए एक क्यूआर (QR) कोड उत्पन्न किया जा सकता है। एक व्यापारी इस QR कोड को स्कैन करके राशि प्राप्त कर सकता हैं।
- लोकप्रिय अवधारणा के विपरीत, यह पेटीएम या मोबीक्विक की तरह एक मोबाइल वॉलेट नहीं है बल्कि एक UPI आधारित ऐप है जो सीधे बैंक खाते से जुड़ा होता है।
- यह एप्लिकेशन ज्यादातर बैंको द्वारा समर्थित है जिनके पास पहले से ही एक UPI आधारित ऐप पहले से ही हैं।
- भीम एप्लिकेशन भविष्य में आधार कार्ड आधारित भुगतान भी करेगा जहां लेनदेन सिर्फ एक फिंगरप्रिंट के साथ संभव होंगे।

डिजिटल लेनदेन के प्रमुख तरीके:-

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इन इंडिया (RTGS) और बैंक सेवाएं।
- बैंकों, UPI आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल वॉलेट सेवा का उपयोग करना।
- डिजिटल लेनदेन के अन्य रूप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित होते हैं जिन्हें प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ये कार्ड विक्रेताओं द्वारा बनाए गए पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

1.5.5. वित्तीय साक्षरता अभियान (गो डिजिटल)

(Vittiya Saksharata Abhiyan [Go Digital])

- यह धन के हस्तांतरण हेतु डिजिटल कैशलेस आर्थिक प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करने, जागरूकता पैदा करने और प्रेरित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई एक पहल है।
- यह कैशलेस अर्थव्यवस्था पर बल देता है और उच्च संस्थानों के संकायों से अपील करता है कि वह संबंधित परिसर को कैशलेस बनायें।

VISION IAS

1.5.6. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

(Unified Payment Interface)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्मार्टफोन के माध्यम से स्वदेशी भुगतान प्रणाली को शीघ्र ही प्रारंभ करके एक 'लेस-कैश' भारत की ओर बढ़ने में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

UPI क्या है?

- यह एक साझा मंच है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति केवल अपनी UPI ID के उपयोग द्वारा अपने बैंक खाते से पैसे का हस्तांतरण तत्काल देश के किसी भी अन्य बैंक खाते में कर सकता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित की गयी है।
- इंटरफेस, तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service- IMPS) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा।

NPCI

- इसकी स्थापना 2008 में हुयी थी I यह कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- भारत में सभी रिटेल भुगतान प्रणालियों के लिए यह एक अम्ब्रेला संगठन है जिसे भारत को कैशलेस समाज बनाने की दिशा में ले जाने का कार्य सौंपा गया है ।
- इसे RBI द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

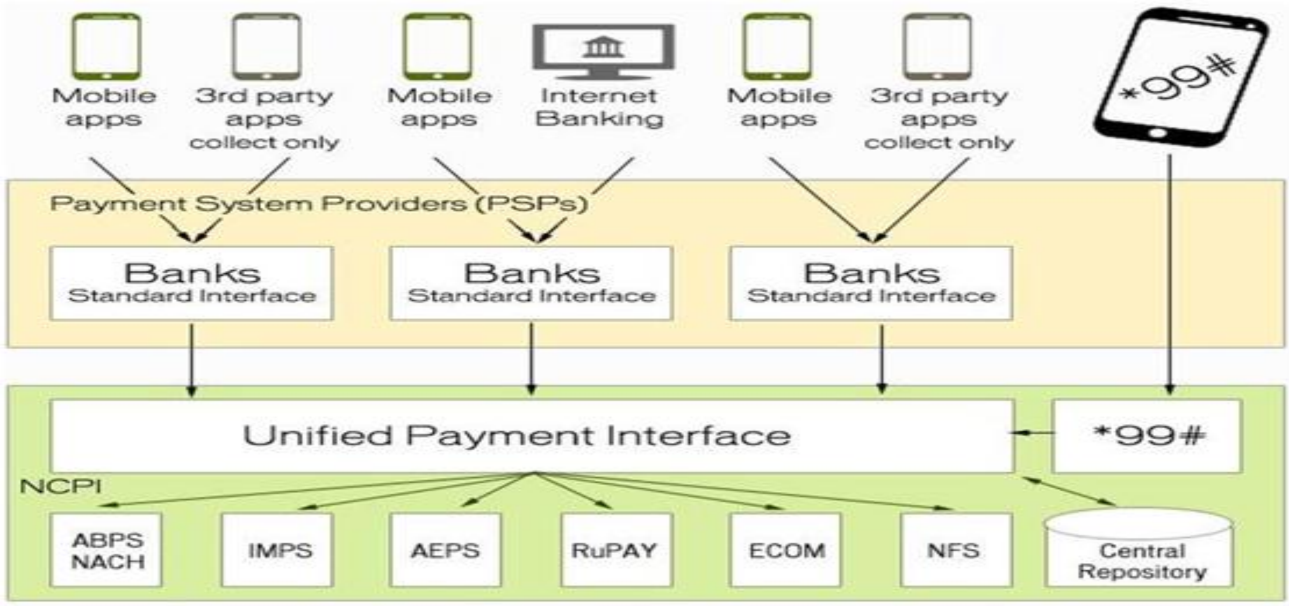

यह कैसे कार्य करेगा?

- ग्राहक किसी विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस, मोबाइल नंबर या आधार संख्या के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन का हस्तांतरण कर सकते हैं। इसलिए, ग्राहकों को प्राप्तकर्ता के IFSC कोड, बैंक खाते का विवरण आदि पता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
- एक ग्राहक के विभिन्न बैंकों में एक से अधिक खातों के लिए कई वर्चुअल एड्रेस हो सकते हैं। इसमें ग्राहक के स्वयं के बैंक के अलावा अन्य कहीं भी कोई अकाउंट नंबर मैपर नहीं है। यह ग्राहक को स्वतंत्र रूप से दूसरों के साथ वित्तीय वर्चुअल एड्रेस को साझा करने की अनुमति भी देता है।

यह मौजूदा भुगतान के तरीके की तुलना में बेहतर कैसे है?

- खाते के विवरण की आवश्यकता समाप्त करने के अलावा इससे व्यक्ति भुगतान के लिए अनुरोध कर सकते हैं और पैसे से सम्बंधित पूछताछ भी कर सकते हैं। इसलिए, यह आशा की जा रही है कि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त व्यापारियों और कंपनियों द्वारा भी व्यापक रूप से इस मंच का उपयोग किया जाएगा।

1.5.7 अमिताभ कान्त समिति

(Amitabh Kant Committee)

- सरकार ने सभी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के सभी संभावित तरीकों की पहचान करने के लिए **अमिताभ कांत** के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- समिति डिजिटल भुगतान विकल्पों की पहुँच में बाधा और उपयोग को प्रभावित करने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं की पहचान करेगी।

1.5.8. डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन

(Promoting Digital Transactions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व नीति आयोग से लेकर सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक मंत्रालय (MEITY) को स्थानांरित कर दिया गया है।

महत्त्व

- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व MEITY को स्थानांरित कर सरकार विशिष्ट मंत्रालयों की मूल दक्षताओं का उपयोग करने का प्रयास कर रही है।
- नीति आयोग की भूमिका निगरानी करना और सरकारी योजनाओं में सुधार के उपायों के विषय में सुझाव देना और IT-सक्षम सेवाओं का विकास करना है।

1.6. बांड मार्किट एंड सेबी रेगुलेशन

(Bond Market and SEBI Regulation)

1.6.1. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अपतटीय कोष प्रबंधक

(REITs, Offshore Fund Managers)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) संबंधी नियमों में ढील दी है। इसके तहत रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को निर्माणाधीन परियोजनाओं में अधिक निवेश की अनुमति दी गयी है, संबंधित पक्ष के लेनदेन पर यूनिट धारक की सहमति को युक्तिसंगत बनाया गया है और किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को किसी दूसरे SPVs में निवेश करने को लेकर विद्यमान प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
- रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट, एक ऐसी कंपनी है जो आय-सृजन करने वाली रियल एस्टेट का स्वामित्व धारण या उसका वित्तपोषण करती है। REITs, म्यूचुअल फंड के प्रारूप पर आधारित हैं। ये सभी तरह के निवेशकों को नियमित आय, विविधिकरण तथा दीर्घकालीन पूँजी प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। REITs सामान्यतः शेयरधारकों को अपनी कर योग्य आय का लाभांश के रूप में भुगतान करते हैं। इसके बदले में, शेयरधारक उस लाभांश पर आय कर का भुगतान करते हैं।

1.6.2. एंजेल निवेशक

(Angel Investors)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- एन.आर. नारायणमूर्ति की अध्यक्षता में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी द्वारा की गयी अनुसंशाओं के आधार पर सेबी (SEBI) ने सेबी (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेगुलेशन्स, 2012 में संशोधन करने का निर्णय किया।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी

एंजेल इन्वेस्टर- एंजेल इन्वेस्टर छोटे स्टार्ट-अप या उद्यमों में निवेश करते हैं। एंजेल इन्वेस्ट जो पूंजी निवेश करते हैं वह या तो किसी उद्यम को आरम्भ करने लिए या तो एकमुश्त निवेश के रूप में होता है या तो किसी कंपनी को उसके आरंभिक दौर के कठिन परिस्थितियों से उबारने के लिए प्रदत्त पूंजी के रूप होता है।

- वेंचर कैपिटलिस्ट - यह वे पेशेवर निवेशक होते हैं जो अन्य लोगों के धन का निवेश उच्च संवृद्धि/विकास की संभावना वाले स्टार्टअप्स और कंपनियों में करते हैं।

VISION IAS

- ये निवेशक उस कंपनी में शेयरधारक भी होते हैं तथा उसके संचालन में भी इनका योगदान होता है।
- **सेबी के बारे में**
- इसकी स्थापना सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप की गयी थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देना और शेयर बाजार की गतिविधियों को विनियमित करना है।

1.6.3. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

(Algorithmic Trading)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (algorithmic trading) के नियमों को और सख्त बनाने की योजना बना रहा है।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है?

- एल्गोरिदम एक कार्य को पूर्ण करने की क्रमबद्ध (step-by-step) प्रक्रिया है।
- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूर्व-निर्धारित कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर बड़ी तेजी से सटीक व बड़े सौदे किए जाते हैं। मानव व्यापारी के लिए इस गति से ट्रेडिंग करना असंभव है।
- एल्गो-ट्रेडिंग निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
- सर्वोत्तम संभव कीमतों पर व्यापार निष्पादन।
- निम्न लेनदेन लागत (transaction cost)।
- कई बाजार स्थितियों पर एक साथ स्वचालित नियंत्रण।
- व्यापार में संभावित मैन्युअल त्रुटियों संबंधी जोखिम में कमी।
- मानव व्यापारियों द्वारा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर आधारित त्रुटियों की संभावना में कमी।

1.7 गोल्ड बॉन्ड

(Gold Bond)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने 2016-17 **सीरिज-IV** सॉवेरेन गोल्ड बांड जारी किये।

सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड क्या हैं?

- SGBs ग्राम्स ऑफ़ गोल्ड में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं।
- **सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड** सोने(गोल्ड) को भौतिक रूप से अपने पास रखने का एक विकल्प हैं। निवेशकों को इश्यू प्राइस का नकद भुगतान करना होगा तथा बॉन्ड के परिपक्व होने पर इनका भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।
- ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।

1.8. ग्रीन बॉण्ड

(Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव के अनुसार, 2015 के 42.2 बिलियन डॉलर की तुलना में 2016 में 81 बिलियन डॉलर के अंकित मूल्य वाले ग्रीन बॉण्ड जारी किए गए।
- ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने अपने पहले युआन मूल्य वर्ग (डिनॉमनेटेड) के ग्रीन बांड की बिक्री की। ब्रिक्स देशों द्वारा बॉन्ड की आय का प्रयोग ब्रिक्स देशों में हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जाएगा।

क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव क्या है?

- क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव एक अंतरराष्ट्रीय निवेशक केंद्रित गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसका उद्देश्य विकसित और उभरते बाजारों में एक वृहद् एवं तरल ग्रीन एंड क्लाइमेट बॉण्ड मार्केट को विकसित करना है।

VISION IAS

ग्रीन बॉण्ड

- एक बॉण्ड वस्तुतः एक ऋण साधन (debt instrument) होता है जिसके माध्यम से कोई संस्था/कंपनी निवेशकों से धन जुटाती है।
- ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से उगाही गयी पूंजी का प्रयोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स (हरित परियोजनाओं) जैसे- अक्षय ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती आदि के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- पहला ग्रीन बॉण्ड 2007 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।
- अभी तक ग्रीन बॉण्ड की कोई मानक परिभाषा नहीं है।

ब्लू बॉण्ड

यह ग्रीन बॉण्ड का एक प्रकार है जिसके माध्यम से विशिष्ट तौर पर क्लाइमेट रिज़िल्यन्ट वॉटर मैनेजमेंट (climate resilient water management) और **जल से संबंधित बुनियादी ढांचे** में निवेश किया जाता है

वर्तमान समय में जलवायु वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न पहल अस्तित्व में हैं:-

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी : GEF):** GEF सरकारों, नागरिक समाजों, बैंकों आदि की एक बहुपक्षीय संस्था है जो UNFCCC जैसे पर्यावरण अभिसमयों के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- 2011 में UNFCCC द्वारा इसके वित्तीय तंत्र की एक संचालनकर्ता इकाई (operating entity) के रूप में **ग्रीन क्लाइमेट फंड (हरित जलवायु कोष)** का सृजन किया गया था।
- राष्ट्रीय सरकारों द्वारा कार्बन कर और कार्बन उपकर उगाहे जाते हैं।
- **स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism)** - इसमें विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में विकसित देशों द्वारा किया जाने वाला निवेश शामिल होता है।
- **संयुक्त कार्यान्वयन (Joint Implementation: JI)** – यह एक औद्योगीकृत देश को अपने उत्सर्जन कटौती से संबंधित दायित्वों को पूरा करने हेतु दूसरे औद्योगीकृत देश में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं का विकास करने में सक्षम बनाता है।
- **कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (परफॉर्म अचीव ट्रेड: PAT)** - वर्धित ऊर्जा कुशलता के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency: NMEEE) के अंतर्गत PAT एक बाजार आधारित व्यापार योजना है। इसमें ऑफसेट उत्सर्जन के लिए ऊर्जा दक्षता प्रमाण-पत्र (energy efficiency certificates) व्यापार शामिल है।

1.9. इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज

(International Stock Exchange)

- GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसियल टेक) सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित भारत के प्रथम इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज– इंडिया इंक्स (India INX) ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2017 का उद्घाटन किया।
- इंडिया इंक्स, बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अधीनस्थ कंपनी है जिसे विश्व के सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका ऑर्डर रिस्पांस टाइम 4 माइक्रो सेकंड है।
- यह इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रतिदिन 22 घंटे संचालित होगा और इस प्रकार निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों को विश्व भर में कहीं से भी सुविधाजनक रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह इंक्स (INX) आरिम्भक रूप से इक्विटी डेरीवेटिव्स, करेंसी डेरीवेटिव्स एवं कमोडिटी डेरीवेटिव्स का व्यापार करेगी जिसमें सूचकांक और शेयर सम्मिलित होंगे। यह बाद में डिपाज़टरी रिसीट एवं बांड प्रस्तुत करेगी।

1.10. मसाला बांड

(Masala Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) ने मसाला बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सितंबर 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति देने के बाद ऐसा करने वाली यह पहली कंपनी है।

मसाला बांड क्या है?

- मसाला बांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजार में बेचा गया रुपया-नामित (आधारित) बांड हैं।
- फिलहाल इन बांड का कारोबार लंदन स्टॉक एक्सचेंज में किया जा रहा है।
- विश्व बैंक की शाखा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये के रुपये आधारित बांड जारी करने के बाद इसे मसाला बांड नाम दिया गया।
- **महत्व**: मसाला बांड से भारतीय ऋण प्राप्तकर्ताओं को विनिमय दर में अधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करने तथा घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इससे रुपये का वैश्विक महत्त्व स्थापित होगा।

1.11. रोज वैली प्रकरण

(Rose Valley Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के दो सांसदों को रोज वैली मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया।

रोज वैली प्रकरण क्या है?

- **यह एक चिट फंड घोटाला है। इस मामले में रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन और रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट** नामक दो संस्थायें सम्मिलित है। इन संस्थाओं ने निवेशकों से 21% के असाधारण रिटर्न के वादे के साथ परिसंपत्ति की खरीद के लिए किस्तों के रूप में 18000 करोड़ रुपया संग्रह किया।

NBFCs वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो निम्नलिखित सीमाओं के साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं:

- ये केवल सावधि जमा स्वीकार कर सकती हैं जबकि मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं
- ये भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं हैं। इसलिए अपने संस्थान से धन का आहरण करने हेतु ये चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
- NBFCs के जमाकर्ताओं हेतु डिपाजिट इंश्योरंस फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है।

चिट फंड:

- ये अनिवार्य रूप से बचत संस्थाएं हैं। इनमे नियमित सदस्य होते हैं जो फंड में आवधिक तौर पर सब्सक्रिप्शन राशि के रूप में धन जमा करते हैं।
- ये कंपनियां विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा मानकीकृत नहीं होती हैं।
- चिट फंड व्यवसाय को केंद्रीय अधिनियम चिट फंड्स एक्ट, 1982 के तहत विनियमित किया जाता है।
- हालांकि, उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत चिट फंड का पंजीकरण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- कार्यात्मक रूप से चिट फंड को RBI द्वारा प्रदत्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की परिभाषा में संम्मिलित किया गया है।

पोंज़ी स्कीम

- यह एक गैर-क़ानूनी इन्वेस्टिंग स्कीम (निवेश से संबंधित योजना) है, जहाँ निवेशकों को उनके निवेश के लिए अत्यधिक रिटर्न (धन वापसी) का वादा किया जाता है।
- इनके पास कोई अंतर्निहित परिसंपत्तियां नहीं होती हैं। यह अपने पुराने निवेशकों के रिटर्न के लिए नए निवेशकों से संग्रहित धन का उपयोग करता है। संपत्ति आदि अन्य प्रकार की किसी परिसंपत्तियों से प्राप्त रिटर्न/राजस्व अर्जन का यहाँ कोई स्थान नहीं होता, जिससे सामान्यतया निवेशकों को पैसा वापस किया जाता है।

पिरामिड स्कीम

- पोंज़ी स्कीम की भांति पिरामिड स्कीम भी एक प्रकार की गैर-क़ानूनी स्कीम (योजना) है।
- जहाँ एक पोंज़ी स्कीम में प्रतिभागियों को यह विश्वास होता है कि उनका रिटर्न उन्हें किसी परिसंपत्ति से प्राप्त हो रहा है, जबकि एक पिरामिड स्कीम में भाग लेने वालों को यह अच्छी तरह पता होता है कि वे नए निवेशकों को ढूँढने के बदले पैसा कमाते हैं।
- पिरामिड स्कीम, चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 के तहत प्रतिबंधित है।

VISION IAS

2. राजकोषीय नीति

(FISCAL POLICY)

2.1. बजट संबंधी सुधार

(Budgetary Reforms)

2.1.1. रेल बजट समाप्त

(Railway Budget Scrapped)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस वित्तीय वर्ष से एक पृथक रेल बजट प्रस्तुत किये जाने की 92 वर्ष पुरानी परंपरा समाप्त कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार अब इसे आम बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- रेल बजट की प्रथा का प्रारम्भ 1924 में विलियम एकवर्थ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के माध्यम से हुआ।
- उनके अनुसार चूंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के दौरान सर्वाधिक व्यय रेलवे लाइनों के निर्माण में किया गया, अतः एक अलग रेल बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- केंद्रीय बजट एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, जबकि रेल बजट के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- विलय के बाद, यात्री किराया बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा।
- विलय के बाद भारतीय रेलवे को, प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से प्रदत्त सकल बजटीय समर्थन के एवज में दिए जाने वाले, वार्षिक लाभांश का भुगतान नहीं करना होगा।
- बड़े पैमाने पर राजस्व घाटे से प्रभावित भारतीय रेलवे, विलय के बाद वित्त मंत्रालय पर यह बोझ स्थानांतरित कर देगी।
- वित्त मंत्रालय ने विलय के लिए तौर तरीकों पर काम करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था।

2.1.2 बजट प्रस्तुत करने की तिथि में बदलाव

(Advancement of Budget Date)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट प्रस्तुत करने की तिथि को एक महीने पहले करते हुए फरवरी के अंतिम दिन कर दिया गया है। **लाभ**

- यह बजट चक्र जल्दी पूर्ण करने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन और निष्पादन सुनिश्चित करने में मंत्रालयों एवं विभागों को सक्षम बनाएगा।
- इससे पहली तिमाही सहित पूरे कार्य सत्र का उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा।
- इससे "लेखानुदान" के माध्यम से विनियोग के मांग की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही वित्त वर्ष की शुरुआत से ही कर कानूनों में विधायी परिवर्तनों को कार्यान्वित करना संभव हो जाएगा।
- यह राज्यों को किये जाने वाले धन हस्तांतरण को उनके बजट के साथ सिंक्रनाइज़ (तालमेल) करेगा।

2.1.3 योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय

(Merger of Plan and Non-Plan classification)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बजट विवरण में योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के विभेदन को समाप्त कर दिया गया है।
- पूर्व में योजनागत व्यय की मात्रा निर्धारित करने में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी।
- हालांकि, इसकी समाप्ति के साथ ही योजनागत और गैर-योजनागत व्यय की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गयी है।

योजनागत और गैर योजनागत व्यय

- **योजनागत व्यय** - योजनागत व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किया जाता है।
- **गैर योजनागत व्यय** - यह सरकार के एक वर्ष के दौरान नियमित कामकाज के संचालन हेतु व्यय के लिए बजट में अनुमानित व्यय को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय में सरकार के योजनागत व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी व्यय शामिल होते हैं।

लाभ:

- व्यय के योजनागत / गैर-योजनागत विभाजन से योजनाओं के **संसाधन आवंटन में एक खण्डित दृष्टिकोण** उत्पन्न हो गया था। जिससे सेवा की वितरण लागत का पता लगाना कठिन हो जाता था। लागत और परिणाम के मध्य लिंक भी सुनिश्चित करना कठिन हो गया था।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना व्यय को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण **परिसंपत्तियों के रखरखाव पर आवश्यक व्यय की उपेक्षा** हो रही थी। सरकारों द्वारा अन्य प्रतिष्ठान संबंधी व्यय की भी अनदेखी की जा रही थी।

2.1.4. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग

(Gender Responsive Budgeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (GRB)** वस्तुतः नीति निर्माण (राजकोषीय नीति) तथा संसाधनों के आवंटन के व्यवहारों को इस तरह प्रदर्शित करता है कि जिससे यह जेंडर (लिंग) सम्बन्धी एजेंडे को प्रोत्साहित करे और पुरुषों के समान ही महिलाओं को लाभ पहुँचाए।
- **भारत ने गत वर्ष पेरिस समझौते का अनुसमर्थन (ratified) कर दिया। लिंग समानता सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) के तहत निर्धारित 17 लक्ष्यों में से एक है।**
- **भारत में 2005 में ही GRB को संस्थागत रूप दिया गया।**
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रचलन के साथ-साथ, 16 राज्यों द्वारा भी इसे अपनाया गया है।
- **वार्षिक बजट में एक जेंडर बजट जारी किया जाता है जिसके दो भाग होते हैं:**

✓ **भाग 'क' (पहले भाग) में "महिला विशिष्ट योजनाएं" (women specific schemes)** होती हैं, अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए 100% फंड आवंटन किया जाता है।

✓ **भाग 'ख' (दूसरे भाग)** में **"महिला केंद्रित योजनाएं" (Pro women schemes)** होती हैं, अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए कम-से-कम 30% फंड आवंटन किया जाता है।

2.2. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(Public Financial Management System - PFMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- GST के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में, PFMS को वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए लाया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए सभी लेनदेन / भुगतानों को कवर करने के लिए इसे पहले से ही सार्वभौमिक बना दिया गया है।

PFMS क्या है?

- PFMS का संचालन व्यय विभाग द्वारा किया जाता है। यह भुगतान प्रसंस्करण, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, सुलह और लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए एक शुरू से अंत तक समाधान प्रतुत करता है।
- यह योजना प्रबंधकों को धन को जारी किये जाने से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को 31 अक्टूबर, 2016 तक PFMS को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

VISION IAS

2.3. केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये बकाया: कैग रिपोर्ट

(Centre Owes Rs. 80,000 Crore to States: CAG Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र पर राज्यों का 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

पृष्ठभूमि

- संविधान के **अनुच्छेद 279** के अनुसार, कैग निवल प्राप्तियां (संग्रह की लागत को कम करके किसी कर या ड्यूटी का प्राप्तियां) को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण होगा , तथा इसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। "
- वित्त मंत्रालय ने 80वें संविधान संशोधन की वजह से 1996-97 से पूर्व दिनांकित करों की निवल प्राप्तियां हेतु कैग प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया था।
- केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों और ड्यूटियों से प्राप्त आय को साझा करने हेतु एक वैकल्पिक तरीका निर्धारित करने के लिए 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप 80वें संविधान संशोधन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।

2.4. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ

(Public Debt Management Cell: PDMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) स्थापित किया है।

PDMC के मुख्य कार्य:

- इसका कार्य केवल परामर्श देना होगा ।
- सरकार के उधार के साथ-साथ अपनी देनदारियों का प्रबंधन करना।
- नकदी के संतुलन (कैश बैलेंस) की निगरानी, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक तरल और कुशल बाजार को बढ़ावा देना
- निवेश , छोटी बचत आदि पर ब्याज दरें तय करने से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- यह केंद्र की देनदारियों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में यह समेकित डेटाबेस सिस्टम का विकास करेगा।

यह क्या है?

- यह एक अंतरिम व्यवस्था है एवं लगभग दो वर्ष में इसे सांविधिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के रूप में उन्नत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में अवरोधों को उत्पन्न किए बिना RBI से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक कर क्रमिक और निर्बाध तरीके से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया को संभव करना है।
- PDMC में आवश्यक विशेषज्ञता के लिए मंत्रालय एवं RBI के 15 अनुभवी ऋण प्रबंधक होंगे।
- संयुक्त सचिव (बजट) की अध्यक्षता में संयुक्त कार्यान्वयन समिति, PDMC से PDMA में संक्रमण प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

PDMA के संबंध में

- PDMA, प्रस्तावित विशिष्ट स्वतंत्र एजेंसी है जो समग्रतावादी दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की आंतरिक और बाह्य देयताओं का प्रबंधन करेगी।

2.5. पेन्शन प्रोडक्ट्स का विनियमन

(Regulation of Pension Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने पेन्शन प्रोडक्ट्स के विनियमन को समेकित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। वर्तमान में यह कार्य बीमा एवं शेयर बाजार नियामकों सहित तीन विभिन्न निगरानी तंत्रों (वॉचडॉग) द्वारा किया जा रहा है।

VISION IAS

- बीमा कम्पनियों द्वारा जारी किए गए पेन्शन प्रोडक्ट, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि म्युचुअल फंड द्वारा विक्रय किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की देखरेख सेबी (SEBI) द्वारा की जाती है।
- परन्तु उनका मुख्य फोकस क्रमश: बीमा और म्युचुअल फंड/पूंजी बाजार पर होता है, इसलिए उनके द्वारा किया गया पेन्शन विनियम अत्यंत कम होता हैं।

पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के संबंध में

- PFRDA वर्ष 2003 में स्थापित किया गया एक विनियामक प्राधिकरण है।
- इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
- यह पेन्शन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन कर वृद्धावस्था आय सुरक्षा में वृद्धि करता है तथा पेन्शन निधियों एवं संबंधित मामलों की योजनाओं में ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।

2.6. वित्तीय डेटा प्रबंधन केन्द्र

(Financial Data Management Centre:FDMC)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन गठित अजय त्यागी समिति ने FDMC नामक सांविधिक निकाय के सृजन की सिफारिश की।
- अत: भारत सरकार ने 2016-17 के बजट में, वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत डेटा समूहन और विश्लेषण की सुविधा के लिए FSDC के तहत FDMC के गठन की घोषणा की।

FDMC के महत्वपूर्ण कार्य

- वित्तीय प्रणाली डेटाबेस की स्थापना (establish), संचालन (operate) तथा रखरखाव (maintain) करना; वित्तीय विनियामक डेटा का संग्रहण एवं इस डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करना।
- एक एकल डेटाबेस में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों से प्राप्त डेटा का मानकीकरण।
- वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर FSDC के लिए विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान करना।

2.7. समतुल्यीकरण लेवी / गूगल टैक्स

(Equalisation Levy/ GoogleTax)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा गूगल टैक्स या इक्वलाइज़ेशन लेवी की घोषणा की गई थी।
- इसका तात्पर्य किसी अनिवासी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा अर्जित आय के कराधान से है। यह 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

नयी इक्वलाइज़ेशन (समतुल्यीकरण) लेवी क्या है?

- इंटरनेट कंपनियों द्वारा जिस देश में लाभ कमाया जाता है उस देश में पर्याप्त कर न देने एवं उसे टैक्स हैवन में भेजने का मुद्दा विश्व भर में बहस का विषय बना हुआ है। OECD ने प्रोजेक्ट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत इस चुनौती का समाधान करने के लिए पिछले वर्ष एक एक्शन प्लान जारी किया था।
- OECD द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही योजना को लागू करने वाला भारत पहला देश बन गया है।
- **इक्वलाइज़ेशन** लेवी 6% की दर से “विशेष सेवा” के लिए दिए जाने वाले धन पर लागू होगी| जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन स्थान का प्रावधान या ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अन्य कोई सुविधा या सेवा सम्मिलित है।
- एक वर्ष में कुल एक लाख से अधिक का भुगतान करने वाली इकाइयों को ही इसका पालन करना होगा।

VISION IAS

- लेवी कटौती की जिम्मेदारी भारतीय भुगतानकर्ता की होगी, उसे बराबर का भुगतान सरकार को करना होगा।

2.8. शंकर आचार्य समिति

(Shankar Acharya Committee)

- **'1 जनवरी से नए वित्तीय वर्ष** (जनवरी-दिसम्बर) की शुरुआत करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता' के विषय पर शंकर आचार्य समिति ने वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक किया जाना बाकी है।
- समिति को वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के गुण और दोष का परीक्षण करने का कार्य दिया गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों एवं अन्य हितधारकों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

2.9. FRBM समिति

(FRBM Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली **FRBM समिति (Fiscal Responsibility and Budget Management Committee)** ने जनवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी।
- सूचनाओं के अनुसार, समिति ने विस्तारवादी राजकोषीय समेकन (expansionary fiscal consolidation) नीति की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने भी सिफारिश की है कि फिलहाल राजकोषीय घाटे को 3% से कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पृष्ठभूमि

- इस समिति का गठन **मई 2016 में FRBM अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003: FRBM Act)** की समीक्षा करने के लिए किया गया था।
- FRBM अधिनियम, 2003 को राजकोषीय अनुशासन (fiscal discipline) बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह राजकोषीय घाटे में कमी लाने और राजस्व घाटे को समाप्त करने सहित अन्य निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

हालांकि, अधिनियम के लक्ष्यों का बार-बार उल्लंघन किया गया है। अतः इस अधिनियम की पुनरीक्षण की आवश्यकता पर सरकार ने विचार किया।

VISION IAS

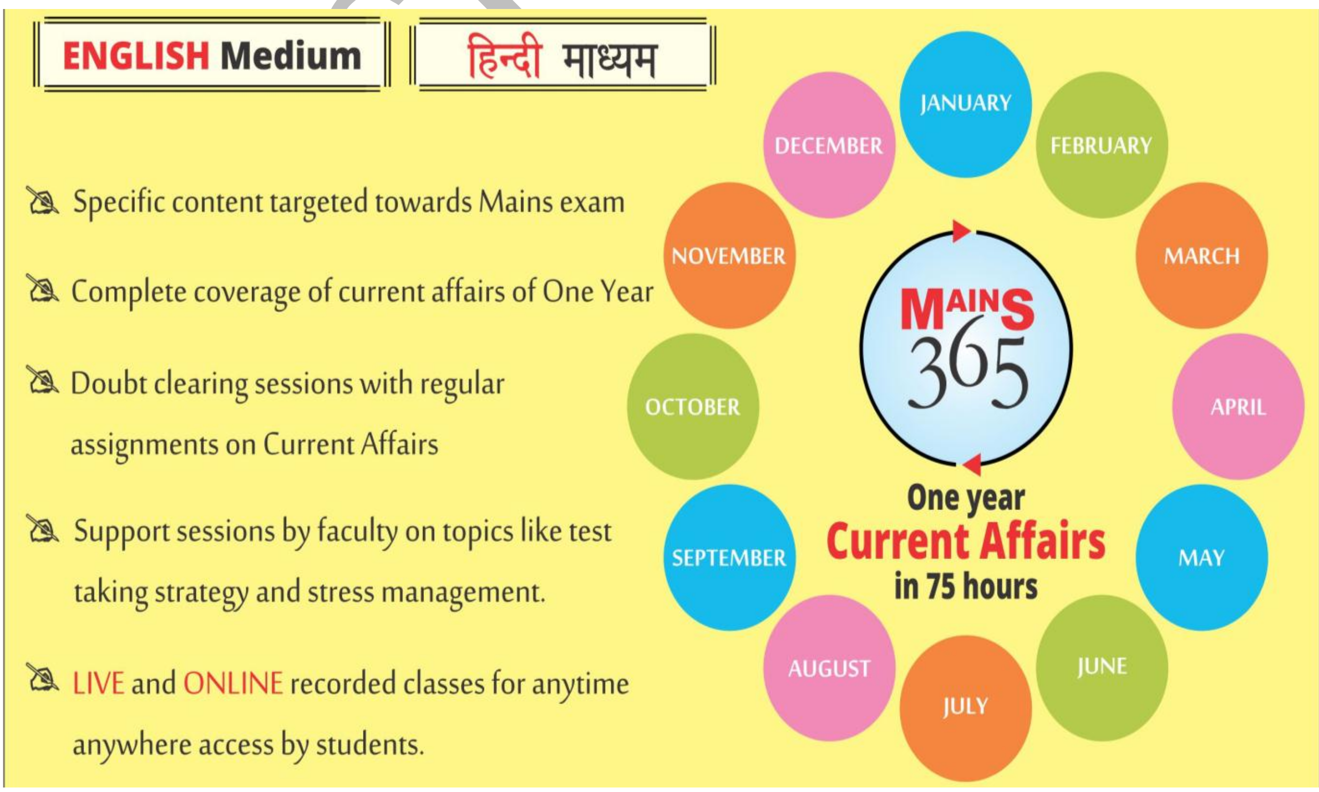

3. कराधान

(TAXATION)

3.1. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स

(Banking Cash Transaction Tax)

सुर्खियों में क्यों?

- **डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की समिति** ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए **BCTT (बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स)** को पुनः लागू करने की सिफारिश की है।

BCTT (Banking Cash Transaction Tax)

- **BCTT एक प्रकार का कर है, जो किसी व्यक्ति या हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF)** द्वारा किसी **अनुसूचित बैंक के गैर-बचत खाते** से एक ही दिन में एक **निर्धारित सीमा से अधिक** के नकद लेनदेन पर लगाया जाता था।
- इसे **जम्मू-कश्मीर** राज्य में लागू **नहीं** किया गया था।
- नकद लेनदेन पर कर की दर 0.1% निर्धारित की गई थी।
- सर्वप्रथम इस कर को वर्ष **2005 में** वित्त अधिनियम, 2005 के तहत पेश किया गया था। बाद में इसे **1 अप्रैल, 2009** से वापस ले लिया गया।
- यह कर गैर-हिसाबी धन (unaccounted money) की ट्रेकिंग एवं उसके स्रोत तथा गंतव्य का पता लगाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।
- 2014 में **पार्थसारथी शोम** की अध्यक्षता वाली **कर प्रशासन समिति** ने भी BCTT को पुनः लागू करने की सिफारिश की थी।

3.2. राजस्व ज्ञान संगम

(Rajasva Gyan Sangam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के कर अधिकारियों को राजस्व ज्ञान संगम पर संबोधित किया।
- GST व्यवस्था के अंतर्गत CBEC का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज (CBIT) कर दिया जायेगा।

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज)

- यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- यह बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यु एक्ट, 1963 के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है।
- जहाँ एक तरफ यह बोर्ड प्रत्यक्ष करों के संबंध में नीति बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह IT विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन का भी पर्यवेक्षण करता है।

CBEC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ एक्साइज एंड कस्टम)

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यु एक्ट, 1963 के तहत जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो भागों में विभाजित किया गया तब CBEC अस्तित्व में आया।
- CBEC कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स मामलों को देखता है।
- GST के समग्र कार्यान्वयन के लिए बोर्ड की संगठनात्मक संरचना तैयार है।

3.3. प्रभावी प्रबंधन स्थल

(Place of Effective Management-POEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारत में व्यापार के लिए प्रभावी प्रबंधन स्थल (POEM) के निर्धारण के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

VISION IAS

POEM के विषय में

- ये दिशा-निर्देश **द्विस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया** प्रदान करते हैं। जिसके तहत कर अधिकारी को वरिष्ठ कर अधिकारी से पूर्व-स्वीकृति और तीन वरिष्ठ अधिकारियों के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- प्रभावी प्रबंधन स्थल को व्यापक रूप से ऐसे स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं न कि जहाँ ये निर्णय कार्यान्वित किए जाते हैं।
- **POEM दिशा-निर्देशों का प्रभाव:** यह एंटी-अवॉइडन्स उपाय (anti-avoidance measure) के रूप में सहायता करेगा। इससे घरेलू कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों और विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों की अप्रत्यक्ष आय को कर के दायरे में लाया जा सकेगा।

3.4. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता

(Advance Pricing Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी, 2017 में चार अतिरिक्त एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।
- हस्ताक्षरित APAs विनिर्माण, वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- इसके साथ, CBDT द्वारा किए गए APAs की कुल संख्या 130 हो गई है। इसमें आठ द्विपक्षीय APA और 122 एकपक्षीय APA शामिल हैं।

APAs क्या हैं?

यह किसी करदाता और उस मूल्य निर्धारण विधि को निर्दिष्ट करने वाले कम से कम एक कर प्राधिकरण के बीच का अनुबंध है। APA, सामान्यतः कई वर्षों के लिए होता है। इसका प्रयोग करदाता स्वयं से संबंधित-कंपनी के लेनदेन पर करता है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **एकपक्षीय APA -** जिस देश में करदाता स्थित है उस देश के कर प्राधिकरण और करदाता के बीच।
- **द्विपक्षीय APA -** करदाता, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और विदेशी कर प्राधिकरण के बीच।
- **बहुपक्षीय APA -** करदाताओं, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और एक से अधिक विदेशी कर प्राधिकरणों के बीच।

सम्बद्ध अवधारणायें

- जिस मूल्य पर किसी कंपनी के प्रभाग (डिवीजन) एक दूसरे के साथ लेनदेन करते हैं उसे **हस्तांतरण मूल्य (transfer price)** कहा जाता है।
- वह लेनदेन जिसमें किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, उन्हें **आर्म्स लेंथ (Arm's length)** लेनदेन कहा जाता है।

3.5. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक , 2016

(Taxation Laws [Amendment] Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा ने कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया है, जिसमें आयकर अधिनियम,1961 और सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम टैरिफ एक्ट), 1975 में संशोधन संबंधी प्रावधान हैं।

विधेयक की विशेषताएं

आयकर अधिनियम, 1961

- **सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों का विघटन:** कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों को कई कंपनियों में विघटित होने की अनुमति प्राप्त है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में इन मूल कंपनियों से अलग होकर बनी नयी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए उन पर कराधान का प्रावधान है।

VISION IAS

- विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्रक की किसी कंपनी के विभाजन के मामले में लागू होगें, क्योंकि इस प्रकार बनी नयी कंपनी अब सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनी नहीं रह जाएगी।
- **नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौतियाँ**: आयकर अधिनियम-1961, कंपनियों की कर योग्य आय में नए कर्मचारियों को भर्ती करने की लागत के 30% तक की छूट की अनुमति देता है।
- अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऐसे कर्मचारी को पिछले वर्ष में 240 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए नियोजित होना चाहिए।
- इस विधेयक में **150 दिनों** की सीमा का प्रावधान है।

कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975

- **संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक और स्लैब पर सीमा शुल्क:** वर्तमान में, निश्चित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट और संगमरमर के आयात पर 10% का सीमा शुल्क लगाया जाता है।
- विधेयक में इसे **40%** करने का प्रस्ताव है।
- इस विधेयक में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY), 2016' नाम की एक नयी योजना का भी प्रस्ताव किया गया है।

✓ इसका उद्देश्य विमुद्रीकरण के पश्चात संगृहीत काले-धन का गरीबों से सम्बंधित कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग करना है।

✓ यह योजना लोगों को वह धन जमा करने की अनुमति देगी जिस पर पूर्व में किसी प्रकार का कर नहीं चुकाया गया है। वह व्यक्ति ऐसे धन के कुल 50% का भुगतान सरकार को करने को बाध्य होगा। इस 50% का 30% कर के रूप में, 10% अघोषित आय पर जुर्माने के रूप में तथा 10% सेस (उपकर) के रूप में देय होगा।

✓ घोषणा करने वाले व्यक्ति को RBI द्वारा PMGKY, 2016 के तहत अधिसूचित जमा योजना में अघोषित आय का 25% जमा करना होगा।

✓ यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति इस विकल्प को अस्वीकार करता है, तो उस राशि का 85% कर एवं दंड के रूप में जब्त कर लिया जाएगा।

✓ छापे (raid) से प्राप्त धन की कुल राशि का लगभग 90% कर एवं जुर्माने के रूप ने लिया जाएगा।

✓ सरकार ने 2016 में अघोषित आय हेतु एक इसी प्रकार की 'इनकम डिक्लेरेशन स्कीम' आरम्भ की थी।

3.6. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

(Benami Transactions [Prohibition] Amendment Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हो गया है।
- इसके बाद, मौजूदा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम को बेनामी संपत्ति का लेनदेन निषेध अधिनियम (Prohibition of Benami Property Transaction Act: PBPT Act) के नाम से जाना जाएगा।

पृष्ठभूमि

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में उचित कार्यान्वयन तंत्र की कमी, अपीलीय तंत्र का अभाव, जब्त संपत्ति को अधिकृत करने के लिए केंद्र के पास किसी प्रावधान का न होना जैसी कई कमियाँ थीं।

विधेयक की विशेषताएं

- **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में बेनामी धन को स्थान देना तथा बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त करना है तथा उन लोगों को दण्डित करना है जो इन संपत्तियों के लेनदेन में शामिल रहे हैं।
- अधिनियम बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है, उसका निषेध करता है और PBPT अधिनियम के उल्लंघन के लिए 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान करता है।
- यह वास्तविक मालिक द्वारा बेनामीदार से उस संपत्ति की पुनर्प्राप्ति पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जिसे बेनामी संपत्ति घोषित किया गया है।
- सरकार द्वारा बेनामी घोषित की गई संपत्ति को बिना मुआवज़े का भुगतान किये ज़ब्त किया जा सकता है।
- **निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण** के रूप में PBPT अधिनियम के तहत एक अपीलीय तंत्र की व्यवस्था की गई है।

VISION IAS

- निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को **मनी लांड्रिंग निषेध अधिनियम (PMLA), 2002** के प्रावधानों की समान तर्ज़ पर अधिसूचित किया गया है।

3.7. कर-जीडीपी अनुपात

(Tax-GDP ratio)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- खराब कर-GDP अनुपात और ब्लैक या समानांतर अर्थव्यवस्था के प्रसार के कारण सरकार विमुद्रीकरण जैसे कदमों के साथ 'लेस-कैश' अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है।
- कर-GDP अनुपात एक निश्चित वित्तीय अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) में एकत्र किए गए कुल करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का कर-GDP अनुपात तुलनीय देशों की अपेक्षा 5.4 प्रतिशत अंक नीचे है। 16.6% कर-GDP अनुपात यह दर्शाता है कि सरकार को राजस्व स्रोत जुटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

3.8.टैक्स टेररिज्म

(Tax Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 'टैक्स टेररिज्म' पद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। उन्होंने इस पद का प्रयोग अधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे विरोधात्मक उपागम (adversarial approach) का वर्णन करने के लिए किया था।
- हाल ही में, IT विभाग द्वारा एक PSU से अनुचित माँग करते हुए करों की उगाही की गई। यह मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रहण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किया गया था।
- इसके पश्चात अप्रैल में मांग रद्द कर दी गई और कर की राशि को वापस कर दिया गया। इस प्रकार यह मुद्दा अगले वर्ष में भी विवाद का विषय रहेगा।
- इस ग़लती को सुधारने के लिए राजस्व सचिव ने दंड स्वरूप कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया था, जिसके चलते विवाद हुआ।

टैक्स टेररिज्म क्या है?

टैक्स टेररिज्म के टैग का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार की कार्यप्रणालियों के संदर्भ में किया जाता है :

- पूर्वव्यापी (retrospective) कराधान मामले जैसे: वोडाफोन प्राइसिंग केस, केयर्न इंडिया-वेदांता ग्रुप केस।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax: MAT) - इस कर को अधिरोपित करने का उद्देश्य सही है परन्तु इसका कार्यान्वयन गलत तरीक़े से हो रहा है।
- कर परिहार (टैक्स अवॉयडेंस) से संबंधित विनियमों को लागू करना: GAAR (जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल) आदि।
- अनुचित कर मांगों द्वारा बड़ी राशियों की उगाही से संबंधित कार्यप्रणालियाँ और इसके उपरान्त अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाएं:
  (a) आक्रामक रिकवरी प्रक्रियाएँ,
  (b) बलप्रयोग के तरीके अपनाना
- ब्याज दर को मैन्युअली समायोजित करना ताकि वापसी हेतु देय राशि (refund payable) शून्य हो जाए।
- उचित जवाबदेही प्रक्रिया के बिना, विवेकाधिकार द्वारा लिए जाने वाले कई निर्णय।

3.9. सक्षम परियोजना (Project Saksham)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडलीय समिति ने अप्रत्यक्ष कर विभाग (CBEC) के लिए 2,256 करोड़ रुपये की बैक-इंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) परियोजना को मंजूरी दे दी है।

महत्व

- CBEC की IT अवसंरचना को लेखा-परीक्षा, अपील और जांच जैसे प्रारंभिक-चरण के कार्यों के साथ ही पंजीकरण, भुगतान और CBEC को भेजे गए रिटर्न डेटा की प्रोसेसिंग के लिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- इस IT अवसंरचना की निम्न कारणों से भी तत्काल आवश्यकता है:

✓ सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में CBEC की ई-सेवाओं की निरंतरता के लिए।
✓ स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जैसी सुविधा की तरह ही अन्य करदाता सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए।
✓ भारतीय कस्टम की **SWIFT पहल** के विस्तार के लिए, और
✓ **ई-निवेश, ई-ताल** और **ई-साइन (e-sign)** जैसी सरकार की पहलों के साथ एकीकरण के लिए।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- यह 2013 में स्थापित एक 'गैर-लाभकारी', गैर सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
- भारत सरकार की GSTN में 24.5% हिस्सेदारी है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी सहित भारत के सभी राज्य और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (EC) संयुक्त रूप से अन्य 24.5% इक्विटी धारण करते हैं।
- शेष 51% इक्विटी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारण की गयी है।
- इस कम्पनी का गठन प्राथमिक तौर पर GST के क्रियान्वयन हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

GST के लागू होने के बाद, GSTN के राजस्व मॉडल में प्रयोक्ता शुल्क शामिल किया जाएगा। जिसका भुगतान इस प्रणाली का उपयोग करने वाले हितधारक करेंगे। इस प्रकार GSTN वित्तीय रूप से एक आत्म निर्भर संगठन होगा।

मुख्य तथ्य

- यह नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (सिस्टम इंटीग्रेशन) 1 अप्रैल, 2017 से वस्तु और सेवा (GST) कर के सुगम क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी। इसे 'परियोजना सक्षम' कहा गया है।
- इसे विप्रो की मदद से विकसित किया जाएगा जबकि GSTN को इन्फोसिस द्वारा विकसित किया गया है।
- परियोजना 'सक्षम' CBEC की बैक-इंड IT अवसंरचना है। एक निजी निकाय, **जीएसटी नेटवर्क (GSTN), इंफोसिस की मदद से फ्रंट-इंड अवसंरचना** विकसित कर रहा है।

3.10. प्रोजेक्ट इनसाइट

(Project Insight)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- L&T इन्फोटेक ने प्रोजेक्ट इनसाइट के कार्यान्वयन के लिए आयकर विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आयकर विभाग भी इस हेतु एक एकीकृत प्लेटफार्म आरम्भ करने वाला है।

प्रोजेक्ट इनसाइट क्या है?

- प्रोजेक्ट इनसाइट, प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपवंचन करने वालों की पहचान करने और टैक्स बेस को विस्तृत करने हेतु वित्त मंत्रालय की एक पहल है।
- यह प्लेटफार्म टैक्स-रिटर्न, आईटी फॉर्म, TDS/TCS स्टेटमेंट, वार्षिक विवरण जैसे वर्तमान डेटाबेस का प्रयोग करके कर अपवंचन करने वालों की पहचान करेगा।
- कर संस्थाएं करदाताओं के आय और व्यय के आकड़ों को उनके पैन कार्ड के साथ लिंक कर रही हैं।
- यह अन्य सरकारी विभागों के लिए सुव्यवस्थित डेटा विनिमय तंत्र भी स्थापित करेगा।
- यह परियोजना, सरकार द्वारा काले धन को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन, भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन एवं हाल ही में संपन्न इनकम डिक्लरेशन स्कीम (IDS) की सूची में अपना नाम शामिल करती है।

VISION IAS

- यह एकीकृत मंच है जो कर आधार को विस्तृत करने एवं कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए डेटा माइनिंग हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह न केवल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि करदाताओं को आयकर कार्यालय गए बिना ही अनुपालन से संबंधित सामान्य मुद्दों का ऑनलाइन समाधान प्राप्त करने में भी सक्षम करेगा।
- इसके साथ ही इस नए प्लेटफोर्म का प्रयोग **फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्पलियेंस एक्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट-FATCA IGA** एवं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन के लिए भी किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट इनसाइट के अंतर्गत एक नये कॉम्पलियेंस मैनेजमेंट सेन्ट्रलाइज्ड प्रोसेसेसिंग सेंटर (CMCPC) की स्थापना की जा रही है। यह परियोजना इनसाइट के माध्यम से एकत्रित जानकारी के प्रारंभिक सत्यापन, उसके सम्बन्ध में नोटिस भेजना और होने वाली अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित कार्य करेगा।

FATCA IGA

- कर मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) को क्रियान्वित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते (Inter Govermental Agreement:IGA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- दूसरे देशों में अमेरिकी करदाताओं के खातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने FATCA को अधिनियमित किया था।
- यह अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को उन विदेशी वित्तीय संस्थानों (FFIs) को किये गए भुगतानों के एक भाग को रोक कर रखने की क्रिया को आवश्यक बनाता है जो अमेरिकी खाताधारकों को चिह्नित करने और उनके सम्बन्ध में जानकारी देने पर सहमत नहीं होते हैं।
- GA के अनुसार, भारत में FFIs के लिए अमेरिकी खाताधारकों के सम्बन्ध में कर सम्बन्धी जानकारी को सीधे भारत सरकार तक पहुंचाना आवश्यक होगा। उसके बाद भारत सरकार यह सूचना अमेरिका को देगी।

3.11. फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिक्रूटमेंट कमिटी

(Financial Sector Search and Recruitment Committee)

- सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक **फाइनेंशियल सेक्टर एंड रिक्रूटमेंट कमिटी** गठित की है। इसका कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के सदस्यों और प्रमुखों का चयन करना है।
- RBI ने अपने डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख के रूप में कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा की नियुक्ति के सरकार के कदम का विरोध किया है|
- समझौते के तहत, नामों की शार्टलिस्टिंग में रिजर्व बैंक के गवर्नर की अहम भूमिका होगी। हालाँकि, तकनीकी तौर पर, कैबिनेट सचिव ही पैनल के प्रमुख बने रहेंगे।
- सर्च कमिटी केवल नामों की सिफारिश कर सकती है, जबकि नियुक्ति सरकार करेगी।

3.12. PSUs सुधार: विनिवेश नीति

(PSU Reforms: Disinvestment Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, PMO ने 22 सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों में रणनीतिक बिक्री के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन PSUs में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे लाना है।
- पुनः इसने PSUs सुधार के तहत उठाए जाने वाले कदमों के तौर पर घाटे में चल रही कुछ PSUs को बंद करने की नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने पहले ही विनिवेश विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ डिसइनवेस्टमेंट) का नाम बदलकर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट: **DIPAM**) कर दिया है।

VISION IAS

विनिवेश क्या है?

- विनिवेश का अर्थ सरकार द्वारा PSE (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) में धारित परिसंपत्तियों या अंशों की बिक्री अथवा उन्हें कम करना या बेचना है। इसे डिसइनवेस्टमेंट (विनिवेश) या डाइवेस्टिचर(Divestiture) के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में विनिवेश 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद लोकप्रिय हुआ था। विनिवेश मुख्य रूप से तब किया जाता है जब एक PSU वर्षों से घाटे में चल रही हो और सरकार पर बोझ बन गयी हो।
- विनिवेश की आय से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय निवेश निधि (NIF)

- इसे 2005 में गठित किया गया था। केंद्र द्वारा PSUs के विनिवेश से प्राप्त सम्पूर्ण आय इस निधि द्वारा संचालित की जाती है।
- NIF की आय के 75% हिस्से को सामाजिक क्षेत्रक की योजनाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने में। जबकि इस आय के 25% का उपयोगPSUs के पुनरुत्थान में किया जाता है।
- इस नियम में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान ढील दी गयी थी। साथ ही सरकार ने 2009 से 2013 तक सामाजिक क्षेत्र के लिए NIF की आय के 100% उपयोग का अनुमोदन किया था।

3.13. मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक 2016

(Model Shops and Establishment Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) विधेयक 2016 को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- यह विधेयक विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर केवल उन्हीं दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को कवर करता है, जहां दस या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं।
- यह विधेयक प्रतिष्ठानों के खुलने या बंद होने से संबंधित समय की किसी बाध्यता के बिना वर्ष में 365 दिन इन्हें संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- विधेयक विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा प्रावधानों के साथ, रात की पाली में काम करने की अनुमति देगा।
- यह प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए शौचालय, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल और कैंटीन जैसी सुविधाओं के लिए प्रावधान बनाएगा।
- यह कानून बायो-टेक्नोलॉजी और IT के अत्यधिक कुशल श्रमिकों के मामले में दैनिक काम के घंटों (9 घंटे) और साप्ताहिक काम के घंटों (48 घंटे) से संबंधित नियमों के अनुपालन से भी छूट प्रदान करता है।

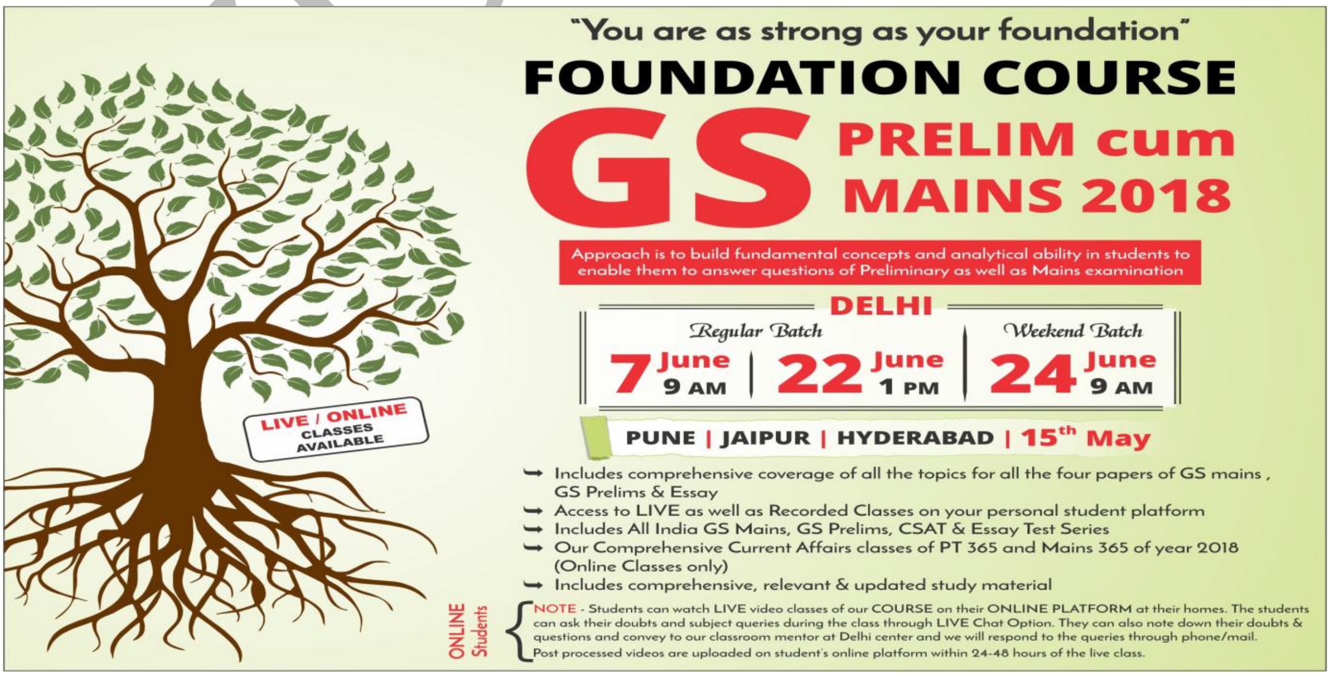

4.बाह्य क्षेत्रक

(EXTERNAL SECTOR)

4.1. चालू खाता अधिशेष की स्थिति

(Current Account Moves into Surplus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 9 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का चालू खाता, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अधिशेष की स्थिति में आ गया।

चालू खाता घाटा (CAD) क्या होता है?

- जब किसी देश/अर्थव्यस्था में वस्तुओं / सेवाओं / निवेश आय के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो उसे CAD कहते हैं। इसे कभी -कभी व्यापार घाटा भी कहा जाता है।
- भारत के CAD में सोने और कच्चे तेल के आयात का प्रमुख योगदान रहा है।

विश्लेषण

- लम्बी अवधि तक रहने वाले CAD के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तथा महंगाई की दर उच्च रही। इसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश प्रभावित हुआ।
- हाल के समय में सोने के आयात में हुई गिरावट और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई कमी ने इस घाटे को कम कर दिया है।
- चालू खाता अधिशेष का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का निर्यात, आयात की तुलना में अत्यधिक है।
- चालू खाता अधिशेष की स्थिति में क्या होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट सिद्धांत या नियम नहीं हैं। यह चालू खाते के आकार और चालू खाते के अधिशेष के कारणों पर निर्भर करता है।
- भारत के सन्दर्भ में, आयात में मंद वृद्धि (जो निवेश की भावना में व्याप्त निरंतर कमजोरी को दर्शाती है) इसके पीछे प्रमुख कारण है।
- पिछली बार वर्ष 2007 में जनवरी-मार्च तिमाही में चालू खाता अधिशेष की स्थिति थी।

4.2. व्यापार सुविधा (ट्रेड फैसिलिटेशन) पर राष्ट्रीय समिति

(National Committee on Trade Facilitation)

पृष्ठभूमि

- भारत फ़रवरी 2016 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) के तहत विभिन्न प्रतिबद्धताओं को अपनाने के लिए सहमत हुआ था।
- इस प्रकार इसे राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे निकाय की आवश्यकता पड़ी, जो घरेलू समन्वय और TFA के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर सके। तदनुसार, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (National Committee of trade Facilitation: NCTF) की स्थापना की गई।

NCTF का उद्देश्य

- यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में व्यापार सुविधा पर एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है।
- यह एक समावेशी निकाय है जहां व्यापार के मुद्दों को संबोधित करने वाले सभी प्रमुख विभागों यथा राजस्व, वाणिज्य, कृषि, जहाजरानी, स्वास्थ्य आदि के सचिवों को तथा साथ ही प्रमुख व्यापार संघों जैसे, फिक्की, CII आदि के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
- इसका सचिवालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के अंतर्गत निर्यात संवर्धन महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थित होगा।
- इसकी तीन स्तरीय संरचना होगी:

✓ **राष्ट्रीय समिति:** TFA के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला प्रमुख केंद्र

VISION IAS

✓ **संचालन समिति:** यह TFA के अनुपालन के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों एवं TFA के लिए आवश्यक अन्य बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

✓ **विशेषज्ञों का तदर्थ समूह:** यह विशिष्ट व्यापार सुविधा से संबंधित मुद्दों से निपटेगा।

व्यापार सुविधा के बारे में

- 2013 में बाली में WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में TFA पर सहमति व्यक्त की गई। इस समझौते का उद्देश्य पारगमन (ट्रांजिट) सहित माल की निकासी और संचलन में तेजी लाना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य व्यापार सुविधा तथा सीमा शुल्क अनुपालन के मुद्दों पर सीमा शुल्क के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग स्थापित करना है।
- WTO के 162 सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से इस समझौते की स्वीकृति के पश्चात यह लागू होगा।

4.3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव

(FDI Policy Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में बदलाव किया है। नवंबर 2015 में घोषित प्रमुख बदलावों के बाद यह दूसरा बड़ा सुधार है।

WHAT THE CHANGES MEAN

Sector	Proposed FDI regime	Existing FDI regime	Implication
Defence	100% FDI in defence via govt approval	49% for foreign entities under automatic route and beyond 49% on government approval on a case-by-case basis subject to access to state-of-the-art technology	Foreign defence firms can set up manufacturing facilities in India
Pharmaceuticals	74% FDI through automatic route in brownfield	100% FDI in brownfield through govt approval	More private equity deals in pharma as new regulation clears uncertainty over FIPB approvals
Aviation	100% FDI for foreign entities	49% for foreign entities	Local airlines can attract more capital
Broadcast ●Cable networks	100 % FDI allowed via automatic route	100% FDI allowed, only 49% allowed via automatic route	More investment opportunities
●Direct to home (DTH)			No FDI expected till cross-media ownership cap removed
●Headend-in-the sky (HITS)			

Source: Department of industrial policy and promotion

विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- **रक्षा क्षेत्र:** नीति में 100 प्रतिशत के FDI की अनुमति देने के लिए अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ द आर्ट) प्रौद्योगिकी तक पहुंच की शर्त को हटा दिया गया है। अब इसे संशोधित करके "आधुनिक या अन्य कारणों के लिए" कर दिया गया है, इससे विदेशी निवेशकों के लिए निवेश का दायरा व्यापक हो जाएगा। नए नियम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को **शस्त्र अधिनियम 1959** के तहत आने वाले छोटे हथियार और गोलाबारूद के निर्माण के लिए भी लागू किया गया है। वर्तमान में FDI व्यवस्था के अंतर्गत स्वचालित मार्ग से एक कंपनी को इक्विटी में 49 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति है। FDI में 49 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की अनुमति सरकारी अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त होगी और यह निर्णय मामला-दर-मामला (केस-बाई-केस) के आधार पर होगा।
- **औषधि क्षेत्र:** इस क्षेत्र में मौजूदा घरेलू कंपनियों (ब्राउन फील्ड परियोजनाओं) में 74% FDI को स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में, नई परियोजनाओं (ग्रीन फील्ड परियोजना) में 100% FDI की अनुमति है।
- **नागरिक उड्डयन क्षेत्र:** ब्राउनफील्ड एअरपोर्ट परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत से अधिक FDI की अनुमति सरकारी अनुमोदन के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति थी।
- **पशुपालन:** पशुपालन में 100% FDI की अनुमति। पशुपालन में FDI के लिए नियंत्रित परिस्थितियों की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया गया है।

- **खाद्य उत्पाद**: सरकारी अनुमोदन के तहत 100% FDI की अनुमति। इसमें विनिर्मित खाद्य उत्पादों या भारत में उत्पादित उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित, खाद्य उत्पादों में व्यापार शामिल है।
- **एकल ब्रांड खुदरा व्यापार**: नयी नीति के तहत लोकल सोर्सिंग मानदंडों में तीन वर्षों के लिए छूट दी गयी है तथा 'स्टेट ऑफ आर्ट' (अत्याधुनिक) प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में शामिल संस्थाओं को सोर्सिंग मानदंडों में पांच वर्षों के लिए अतिरिक्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

4.3.1. व्हाइट लेबल ATM में 100% FDI

(100% FDI in White Labelled ATM)

सरकार ने व्हाइट लेबल ATM (WLA) के संचालन में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- WLA की स्थापना के लिए इच्छुक गैर-बैंकिंग इकाई की न्यूनतम नेट वर्थ नवीनतम वित्त वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जिसे हमेशा बनाए रखना होगा।
- यदि इकाई अन्य किसी 18 NBFC गतिविधियों में भी संलग्न हो, तो WLA स्थापित करने वाली कंपनी में हुए विदेशी निवेश को भी NBFC से जुड़ी गतिविधियों में विदेशी निवेश के लिए तय न्यूनतम पूंजीकरण मानकों के अनुरूप रखना होगा।

ATM के प्रकार:

- **बैंक ATM-** किसी विशिष्ट बैंक द्वारा स्थापित एवं संचालित होता है।
- **ब्राउन लेवल ATM-** जब बैंक अपने एटीएम-संबंधी कामकाज को किसी तीसरे पक्ष को सौंप देते हैं, तो उस तीसरे पक्ष द्वारा लगाए गए ATM ब्राउन लेबल ATM कहलाते हैं। ATM पर उस बैंक का लोगो (Logo) लगा होता है, जिसने उस तीसरे पक्ष को काम सौंपा है।
- **व्हाइट लेबल ATM (WLA)-** गैर-बैंकिंग संस्था के स्वामित्व वाले ATM को WLA कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुथूट फाइनेंस ATM, टाटा इन्डिकैश इत्यादि। इन पर किसी बैंक का लोगो (Logo) नहीं लगा होगा।

4.4. FIPB को समाप्त किया जाएगा

(FIPB to be abolished)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने, बजट 2017-18 में वित्तीय वर्ष 2018 में FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को समाप्त करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में दो तरीकों** से, स्वचालित मार्ग और सरकारी अनुमोदन के माध्यम से आता है।
- FIPB अनुमोदन मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों में FDI एप्लीकेशन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था प्रदान करता है। बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों को सम्भाला है।
- FIPB वित्त मंत्रालय के **आर्थिक मामलों के विभाग (DEA)** में स्थित है और वित्त मंत्री FIPB के प्रभारी हैं।

प्रदत्त कारण

- वर्तमान में, 90% से अधिक FDI प्रवाह स्वचालित मार्ग के माध्यम से होता है, जिसके लिए FIPB से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और वे क्षेत्रीय नियमों के अधीन हैं।
- शेष FDI (कुल FDI प्रवाह का लगभग 8%) के लिए, प्रत्येक सम्बद्ध विभाग के पास इसके संबंध में एक ढांचा या एक नियामक मौजूद है।
- इसके अलावा FIPB ने FDI आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रसंस्करण को सफलतापूर्वक लागू किया है।

VISION IAS

4.5. द्विपक्षीय निवेश संधि

(Bilateral Investment Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत ने हाल ही नीदरलैंड के साथ अपने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को एकतरफा समाप्त कर दिया और यूरोपीय संघ के 20 सदस्यों को उनसे संबंधित BITs की समाप्ति के लिए नोटिस जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- BIT दो देशों के बीच एक समझौता है जो उन देशों के मध्य विदेशी निवेश के लिए नियमों के निर्माण में मदद करता है।
- BIT एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से मेजबान देशों को उनकी नियामक शक्ति का प्रयोग करने के लिए जवाबदेही बनाकर विदेशी निवेशक को सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारत ने 2015 में अपनी मॉडल BIT संधि में परिवर्तन किया है। यह मॉडल राज्य के नियामक शक्तियों पर ज्यादा जोर देता है।
- 2015 में भारत सर्वाधिक मुकदमें दायर करने वाले देशों में से एक था।
- भारत ने 1994 से 2011 के बीच लगभग 70 BITs पर हस्ताक्षर किये, जो निवेशकों के अनुकूल (investor friendly) थे, किन्तु 2011 के बाद की प्रवृति इसके विपरीत थी।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

- भारत के विभिन्न देशों के साथ 83 BITs हैं।

BIT पर भारत का मॉडल ड्राफ्ट

- MFN खंड की समाप्ति ।
- निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा - ऐसे निवेशक जो भारत में व्यवसाय करने के लिए कोई उद्यम स्थापित नहीं करते हैं, वे BIT के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकते हैं ।
- विवाद समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने से पहले स्थानीय अदालतों में सुनवाई के विकल्प को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लेना होगा।
- अपवादस्वरूप स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि विषयों के सन्दर्भ में BIT के प्रावधान अमान्य होंगे।

4.6. आर्बिट्रेशन तंत्र

(Arbitration Mechanism)

4.6.1. भारत का पहला वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन केन्द्र

(India's First Commercial Arbitration Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन के लिए भारत का पहला प्रमुख केंद्र मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA) 8 अक्टूबर 2016 को मुंबई में आरम्भ किया गया।

4.6.2. सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर

(Singapore International Arbitration Center)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जून 2016 में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) ने भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFTCL) और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी सेज लिमिटेड (GIFT SEZ) के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य: भारतीय कंपनियों के साथ SIAC और सिंगापुर इंटरनेशनल मीडीएशन सेंटर (SIMC) के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को हल करना।

VISION IAS

- इसमें अभिनव “**Arb-Med-Arb**” सेवा (Arbitration - Mediation - Arbitration) भी शामिल है।

Arb-Med-Arb

यह एक प्रक्रिया है जिसमें:

- किसी विवाद को पहले आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद मीडिएशन का प्रयास किया जाता है।
- यदि मीडिएशन से फैसला आ जाता है तो इसे सहमति वाला फैसला माना जा सकता है।
- यदि मीडिएशन विफल रहता है, तो वे आर्बिट्रेशन को जारी रखा जा सकता है।

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी

- यह 100 स्मार्ट शहरों में से पहला है।
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसे एक सेज में स्थापित किया जायेगा।
- बजट में, इस सेज के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए 9% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रस्तावित किया गया था, जबकि अन्य सभी सेज पर न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 18.5% है।
- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी सतत विकास, अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, अवसंरचना और परिवहन के संयोजन से बनी 20 अरब डॉलर की परियोजना है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपतटीय बैंकिंग, मुद्रा परिवर्तनीयता, बीमा, वस्तु और प्रतिभूति व्यापार और सभी प्रकार की पूंजी वित्तीय गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

4.6.3. एंट्रिक्स-देवास मामला

(Antrix-Devas Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक अनुबंध के रद्द होने के मामले में भारत सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया है।
- न्यायाधिकरण का फैसला एंट्रिक्स-देवास विवाद में इस प्रकार का दूसरा मध्यस्थता परिणाम है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (ICC) न्यायाधिकरण ने 2015 में समझौता रद्द करने को 'अवैध' माना था और एंट्रिक्स को लगभग 4,400 करोड़ रुपये हर्जाने के रूप में देवास को देने को कहा था।

पृष्ठभूमि

- 2005 में, इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स निगम ने देवास के साथ उपग्रह स्पेक्ट्रम लीज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 2011 में लीक हुई एक मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में बड़ी संख्या में अनियमितताएँ संभावित हैं।
- विवाद के तुरंत बाद, इसरो ने समझौते को रद्द करने का फैसला किया।

PCA के बारे में

- यह नीदरलैंड में हेग में स्थित विवाद समाधान के क्षेत्र में एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है ,हालांकि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

4.7 मल्टीलैटरल कम्पीटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट फॉर कंट्री-बाई कंट्री रिपोर्टिंग (CBC MCAA)

(Multilateral Competent Authority Agreement for Country-By Country Reporting)

- CbC MCAA देश-दर-देश सूचना को स्वतः साझा करने को सक्षम बनाने हेतु एक कर सहयोग समझौता है।
- CbC MCAA का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं को द्विपक्षीय तथा स्वचालित तरीके से देश-दर-देश सूचनाओं के आदान-प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर बहुराष्ट्रीय उद्यमों(MNEs) द्वारा पारदर्शिता को बढ़ाना है।

VISION IAS

- 2013 में OECD और जी20 देशों द्वारा अपनाए गए *बेस ईरोज़न एंड प्रॉफिट शेयरिंग* (BEPS) एक्शन प्लान के एक्शन 13 के भाग के रूप में सूचना के इस आदान-प्रदान को सरल बना दिया गया है।
- यह अनुबंध यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि कर प्रशासन, MNEs के परिचालन को बेहतर ढंग से समझ सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि ऐसी सूचनाओं की गोपनीयता और इनका उचित उपयोग सुरक्षित रहे।
- हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या बढ़ कर 57 हो गयी है जिसमे भारत भी शामिल है l

4.8. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC)

(Export Credit Guarantee Corporation)

ECGC लिमिटेड पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी हैl यह भारतीय निर्यातकों को एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्श्योरेन्स सहायता प्रदान करती है। यह वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है।

कार्य

- यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में नुकसान के विरुद्ध निर्यातकों को क्रेडिट रिस्क इन्श्योरेन्स कवर की एक रेंज प्रदान करती है।
- यह बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने हेतु निर्यातकों को सक्षम बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गारंटी देती हैl
- यह इक्विटी या ऋण और अग्रिमों के रूप में विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करती है।

4.9. पनामा: बहुपक्षीय कर सूचना साझा कन्वेंशन

(PANAMA: Multilateral Tax Information Sharing Convention)

- कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन OECD और यूरोपीय परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 1988 में विकसित किया गया l 2010 में इसमें एक प्रोटोकॉल द्वारा संशोधन भी किया गया ।
- यह कन्वेंशन कर चोरी और परिहार से निपटने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के कर सहयोग हेतु सर्वाधिक व्यापक बहुपक्षीय साधन है और करदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की गारंटी देता है।
- यह कन्वेंशन राज्य पक्षों(स्टेट पार्टीज) के मध्य कर मामलों के सम्बन्ध में सूचना के आदान-प्रदान और सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित किया गया था।
- वर्तमान में 98 देश इस कन्वेंशन में सहभागी हैं। जिसमे भारत भी एक सदस्य है l यह सभी G-20 देशों, ब्रिक्स देशों, OECD देशों, प्रमुख वित्तीय केंद्रों और विकासशील देशों की बढ़ती संख्या सहित देशों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है।

4.10 मार्केट इकोनोमी स्टेटस

(Market Economy Status)

- भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानकों के अंतर्गत चीन को प्रतिष्ठित 'मार्केट इकोनोमी स्टेटस' (MES) स्वतः प्रदान करने का इच्छुक नहीं है।
- एक बार जब किसी देश को MES का दर्जा मिल जाता है तो इसके निर्यात को उत्पादन लागत पर और बिक्री मूल्य को बेंचमार्क मूल्य के रूप में स्वीकार करना होता हैl
- नॉन-मार्केट इकोनॉमी (NME) देशों के निर्यात के मामलों में, आयात करने वाले देश सामान्य मूल्यों (normal values) के निर्धारण के लिए वैकल्पिक पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैंl इसका परिणाम प्रायः उच्च एंटी-डंपिंग ड्यूटी के रूप में नजर आता है।
- चीन को MES दर्जा मिलने से 'अनुचित कीमत' वाले चीनी आयातों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने भारत की क्षमता व्यापक रूप से प्रभावित होगी। इसलिए भारत चीन को MES का दर्जा प्रदान करने के प्रति अनिच्छुक है।

एंटी डंपिंग ड्यूटी

- **डंपिंग** अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक पद्धति है। इसके तहत निर्माता किसी अन्य देश में घरेलू मूल्य से कम कीमत पर अपने उत्पाद का निर्यात करते हैं।

VISION IAS

- **एंटी डंपिंग ड्यूटी** एक संरक्षणवादी शुल्क है। यह ऐसे आयात पर आरोपित किया जाता है जिसके संबंध में यह माना जाता है कि इसका मूल्य इसके घरेलू मूल्य से नीचे रखा गया है। यह मुख्य रूप से निष्पक्ष व्यापार की पद्धति को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (Countervailing Duty)

- यह आयात करने वाले देशों द्वारा **विशिष्ट वस्तुओं** पर आरोपित किया जाने वाला **अतिरिक्त** शुल्क है।
- सामान्यतः यह उस विशिष्ट वस्तु के विनिर्माता द्वारा दी जाने वाली एक्साइज़ ड्यूटी के बराबर होती है। यह उस स्थिति में अधिरोपित की जाती है जब समान वस्तु (जिस पर ड्यूटी लगाई गयी है) का उत्पादन आयात करने वाले देश में भी हो रहा हो। जोकि उस समान वस्तु को आयात करने वाले देश में उत्पादित करने पर निर्माताओं को उत्पाद शुल्क के रूप में देना होता।
- इसे मुख्य रूप से सब्सिडी के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए आरोपित किया जाता है। यह निर्यातक देश में प्रदान की गई सब्सिडी के कारण मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को आयातक देश के घरेलू बाजार के मूल्यों के साथ संतुलित करता है।
- दूसरे शब्दों में, इसे घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए अधिरोपित किया जाता है।

सेफगार्ड ड्यूटी

- घरेलू विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सरकार ने स्टील आयात पर सेफ़गार्ड ड्यूटी मार्च 2018 तक के लिए बढ़ा दी है।
- सेफ़गार्ड ड्यूटी घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए आरोपित किया जाने वाला एक अन्य शुल्क है।
- यद्यपि, सेफ़गार्ड ड्यूटी को एक जाँच के बाद आरोपित किया जाता है। तथा इसे तब आरोपित किया जाता है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है किसी वस्तु को बड़ी मात्रा या सस्ती कीमत पर आयात करने से संबंधित घरेलू उद्योग प्रभावित होगा।

4.11. बाह्य वाणिज्यिक उधारी

(External Commercial Borrowings)

भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए विदेशी स्रोतों से उधार लिया गया कोई भी धन ECB की श्रेणी में आता है।

- केन्द्र सरकार मौजूदा क्षमता के विस्तार के साथ-साथ नए निवेश हेतु भारतीय कॉरपोरेट कंपनियों के लिए ECB को वित्त के स्रोत के रूप में अनुमति देती है।
- RBI ने स्टार्ट-अप्स को ECB द्वारा फण्ड रेजिंग (fund raising) की अनुमति दी है। RBI ने स्टार्ट-अप्स को एक वित्तीय वर्ष में 3 मिलियन डॉलर तक की ECB जुटाने की अनुमति प्रदान की है। इसकी अवधि तीन वर्षों की होगी।
- RBI द्वारा जारी किए गए नए नियमों का लक्ष्य देश में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- एकत्रित की गयी निधियों के अंतिम उपयोग (एंड यूज़) पर कोई कास्ट-सीलिंग या प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा।
- ECBs एक ऐसे देश से लिया जा सकता है जो या तो फाइनेंसियल टास्क फ़ोर्स (FATF) का सदस्य हो या FATF-शैली के क्षेत्रीय निकायों से सम्बद्ध हो।
- यह बैंक ऋण, SECURITIZED INSTRUMENTS,बायर्स क्रेडिट ,सप्लायर्स क्रेडिट,विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स इत्यादि हो सकता है।
- ध्यातव्य है कि ECB FDI नहीं हैं।

4.12 काम्प्रिहेन्सिव इकॉनोमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट

(Comprehensive Economic and Trade Agreement: CETA)

- यूरोपीय संघ (EU) और कनाडा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम्प्रिहेन्सिव इकॉनोमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- CETA, कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच एक निःशुल्क व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट :FTA) है।
- इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं (i) सीमा शुल्कों को समाप्त करना, (ii) सेवा बाजार को खोलना और (iii) सार्वजनिक अनुबंधों तक पहुंच पर आरोपित प्रतिबंध को समाप्त करना।

4.13. वैश्विक निवेश समझौता

(Global Investment Agreement)

- भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की दिशा में काम करने के यूरोपीय संघ और कनाडा के अनौपचारिक प्रयासों को खारिज कर दिया।

VISION IAS

- यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा प्रस्तावित समझौते में एक विवादास्पद इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) मैकेनिज्म शामिल हैI

इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) मैकेनिज्म क्या है?

- ISDS मैकेनिज्म कंपनियों को विवाद के निपटान के संदर्भ में सभी स्थानीय विकल्पों का उपयोग किए बिना ही सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जाने की अनुमति देता है।
- यदि नीतियों में बदलाव या अन्य कारणों से कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी मुआवजे का दावा कर सकती है। यह मैकेनिज्म कंपनियों को इस नुकसान का हवाला देते हुए मुआवजे के रूप में बड़ी राशि का दावा करने की भी अनुमति देती है।
- इसे यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा प्रस्तावित निवेश संधि द्वारा पहले से ही शामिल कर लिया गया है।

4.14 इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फाइनेंसियल कमिटी

(International Monetary and Financial Committee: IMFC)

- IMFC अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती है और रिपोर्ट करती है। इसके अंतर्गत तंत्र (सिस्टम) को अवरुद्ध कर सकने वाली प्रक्रियाओं पर प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में सलाह दिया जाना भी शामिल है।
- यह कार्यकारी बोर्ड द्वारा आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में संशोधन के प्रस्तावों पर भी विचार करती है। साथ ही, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर भी सलाह देती है।
- हालांकि IMFC के पास कोई औपचारिक निर्णयन शक्तियां नहीं है, किन्तु व्यवहार में, यह फंड के कार्य और नीतियों को रणनीतिक दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है।
- भारत IMFC का एक सदस्य है।

4.15. जॉइंट इंटरनेशनल टास्कफोर्स ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस एंड कोलैबोरेशन (JITSCIC)

(Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration)

- भारत ने पेरिस में आयोजित ज्वाइंट इंटरनेशनल टास्कफोर्स ऑन शेयर्ड इंटेलिजेंस एंड कोलैबेरेशन (JITSCIC) की बैठक में भाग लिया।
- JITSIC कर प्रशासन (टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन) के लिए एक फोरम है।
- JITSIC विश्व के 37 नेशनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस को एक साथ लाता है। ये सभी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस कर अपवंचन से और अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- यह अपने सदस्यों को प्रभावशाली द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों तथा कर सूचना विनिमय समझौतों के कानूनी ढांचे के अंतर्गत सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस मंच का उद्देश्य उन मुद्दों के समाधान के विषय में अपने अनुभव, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करना है, जिन मुद्दों का वे सभी समान रूप सामना करते हैं।
- इसका संचालन OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत होता है।

4.16. पी नोट्स

(P-Notes)

पृष्ठभूमि

- काले धन पर विशेष जांच दल (SIT) ने सुझाव दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पी-नोट (P-Note) का उपयोग काले धन को वैध करने के लिए न हो पाए।
- नए नियमों के तहत, पी-नोट्स के सभी उपयोगकर्ताओं को भारतीय केवाईसी (KYC) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना होगा।

अपतटीय/विदेशी व्युत्पन्न लिखत (Offshore Derivatives Instruments) क्या हैं?

- अपतटीय/विदेशी व्युत्पन्न लिखत भारतीय इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा इस्तेमाल किये जाना वाला निवेश मार्ग है।
- ये निवेशक या तो अपनी इच्छा से या नियामकीय प्रतिबंधों की वजह से सेबी के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं।
- ये निवेशक सेबी के साथ पंजीकृत किसी विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के पास जाते हैं। ये एफआईआई उन निवेशकों की तरफ से भारतीय बाज़ार में खरीद करते हैं और उन्हें अपतटीय/विदेशी व्युत्पन्न लिखत जारी किया जाता है।
- पी-नोट्स अपतटीय/विदेशी व्युत्पन्न लिखत का एक प्रकार है।

भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligent Unit- India) : इसे राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी के रूप में 2004 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था; यह संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

4.17 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

(Special Economic Zone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वाणिज्य विभाग ने अपनी व्यापक ई-गवर्नेंस पहल (SEZ ऑनलाइन सिस्टम) के तहत एक मोबाइल ऐप "SEZ इंडिया" लांच किया गया है।
- देश में, SEZ गैर SEZ क्षेत्रों की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ टैक्स फ्री इंक्लेव के रूप में SEZ की परिकल्पना की गई थी।

SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसरों का सृजन।
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास

4.18 डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA)

(Double Taxation Avoidance Agreement)

- DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में कर-दाता एक ही आय के लिए दो बार कर देने से बच सकें। DTAA ऐसे मामलों में लागू होता है जहां कर-दाता किसी एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है।
- सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ DTAA समझौते निवेशकों को पूंजीगत लाभ पर पूर्ण छूट प्रदान करते हैं। इन समझौतों का इस्तेमाल काले धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए किया गया है।
- जानकारी के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान (automatic exchange of information) के माध्यम राजस्व हानि और काले धन के खतरे से निपटने के लिए, भारत ने हाल ही में मॉरीशस और साइप्रस के साथ संधियों को संशोधित किया है। साथ ही स्विट्जरलैंड के साथ इस संबंध में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर भी किया है।

5. रोजगार एवं कौशल विकास

(EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT)

5.1. MSME में महिला रोजगार योजनाएं

(Women Employment Schemes in MSME)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय महिला उद्यमिता के विकास हेतु कुछ विशेष समर्पित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

5.1.1. ट्रेड रिलेटेड इंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट(TREAD) स्कीम

(Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) Scheme)

- गैर-कृषि गतिविधियों में स्व-रोजगार संबंधी क्रियाकलापों को अपनाने एवं क्षमता संवर्धन के लिए व्यापार संबंधी प्रशिक्षण, सूचना और परामर्श उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय ऋण प्रदान किए जा रहे हैं तथा NGOs के माध्यम से लिए गए ऋण पर सरकार द्वारा 30% की दर से अनुदान दिए जा रहे हैं।

5.1.2. महिला कॉयर योजना

(Mahila Coir Yojana)

- कॉयर प्रसंस्करण उपकरणों हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।
- कॉयर धागों की कताई इत्यादि जैसी विभिन्न कॉयर प्रसंस्करण गतिविधियों में प्रशिक्षण।

5.2 स्टार्ट-अप के लिए पहल

(Initiatives For START-UPS)

5.2.1 लांचपैड

(Launchpad)

- यह स्टार्ट-अप प्रोडक्ट्स के लिए अमेज़न इंक का एक वैश्विक कार्यक्रम है।
- हाल ही में भारत में इसका शुभारम्भ किया गया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि के बाद भारत सातवां देश है जहाँ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है।
- स्टार्ट-अप अपने उत्पादों को विश्व भर में लाखों उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- अमेज़न इन उत्पादों हेतु मार्केटिंग, नए बाजारों की खोज और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है।

5.2.2 एस्पायर

(Aspire)

- वर्ष 2015 में MSME मंत्रालय द्वारा नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु यह योजना **(A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship: ASPIRE)** आरम्भ की गई थी।
- इस योजना का लक्ष्य कृषि आधारित उद्योगों में प्रौद्योगिकी केंद्रों, इन्क्युबेशन सेंटर्स और वित्तीयन के एक नेटवर्क के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

5.2.3 स्टार्ट-अप्स को लालफीताशाही से राहत

(Red Tape Snipped For START-UPS)

- सरकार ने उन नियमों/मानदंडों को आसान बना दिया है, जिनके तहत स्टार्ट अप्स, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अनुरूप शुरूआती लाभ उठा सकते हैं।

लाभ

- अंतर-मंत्रिस्तरीय बोर्ड द्वारा जांच की जाने वाली पूर्व प्रक्रिया की जगह अब केवल औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए स्टार्ट-अप कर लाभ के लिए पात्र होंगे। इससे अधिक संख्या में स्टार्ट-अप्स लाभान्वित होंगे।

VISION IAS

- अपेक्षाकृत तीव्र और सस्ते पेटेंट परीक्षण तथा 10,000 करोड़ रूपए के 'फंड ऑफ फंड्स' के लिए पात्र होना।
- स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत DIPP ने नैसकॉम और iSprit सहित 20 निजी कंपनियों को इनक्यूबेटर के रूप में प्रमाणित किया है। साथ ही शैक्षिक संस्थानों को भी इन्क्युबेशन सेंटर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
- हालांकि, वर्तमान में कर रियायतों का लाभ उठाने वालों को ये रियायती लाभ नहीं मिलेंगे।

स्टार्टअप के लिए पूर्व के मानदंड

- सम्मिलित फर्म पांच वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- 25 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक राजस्व।
- कर लाभों का पात्र होने के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था ।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर से अनुशंसा की प्राप्ति आवश्यक थी, अथवा इसका घरेलू वेंचर फण्ड होना या भारतीय पेटेंट धारक होना भी मानदंड में शामिल थे।

स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत अन्य प्रोत्साहन

- प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए कठोर श्रम कानूनों से छूट।
- तीन वर्षो के लिए लाभ पर आयकर छूट (टैक्स हॉलिडे)।
- नियामक अनुपालन के लिए स्वयं प्रमाणन (सेल्फ-सर्टिफिकेशन)।
- स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड।
- *फंड ऑफ़ फंड्स* में निवेश किए गए पूंजीगत लाभों पर कर छूट।
- पेटेंट आवेदन पर 80% छूट।
- देश भर में स्टार्ट अप्स की सहायता हेतु इन्क्यूबेशन सेंटर।
- उनके लिए सार्वजनिक खरीद हेतु रियायती मानदंड।
- आसान निकास

5.2.4 स्टार्ट-अप के वित्तीयन हेतु फंड ऑफ़ फंड्स

(FUND OF FUNDS FOR FUNDING FOR START-UPS)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) की पहल "फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स" (FFS) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- FFS की आरंभिक पूंजी 10,000 करोड़ रुपये की है, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम की प्रगति एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित की जाएगी।
- सिडबी की विशेषज्ञता का उपयोग FFS के दैनिक संचालन के लिए किया जाएगा।

5.2.5. स्टैंड अप इंडिया योजना

(Stand Up India Scheme)

उद्देश्य

- इसका लक्ष्य, गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रीनफ़ील्ड उद्यमों हेतु 7 वर्षों तक के लिए तथा 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराते हुए SC/ST तथा महिलाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

विशेषताएं

- इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सुसाध्य बनाना है। इन उद्यमियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए औसतन एक के लिए इस परियोजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करना होगा।
- 10,000 करोड़ की आरंभिक पूँजी के साथ भारत के लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से एक रिफाइनेंस विंडो।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र का निर्माण।
- ऋण के पूर्व के चरण तथा परिचालन के दौरान उधारकर्ताओं को सहारा देना।

VISION IAS

5.2.6. प्रधानमंत्री युवा योजना

(Pradhan Mantri YUVA Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अपने दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए, मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना 'प्रधानमंत्री युवा योजना' का शुभारंभ किया।

यह क्या है?

- पांच वर्ष (2016-17 से 2020-21 तक) की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से यह योजना 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
- यह सूचना, मेंटर नेटवर्क, क्रेडिट, इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर तक आसान पहुँच के माध्यम से युवाओं हेतु एक मार्ग का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी।
- मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) के माध्यम से उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान (कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख संस्थान), 300 स्कूल, 500 ITIs और 50 उद्यमिता विकास केंद्र प्रधानमंत्री युवा योजना में शामिल हैं।

5.3. कौशल विकास के लिए पहलें

(Initiatives for Skill Development)

5.3.1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार वर्षों (2016-2020) के लिए एक करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 12000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को मंजूरी दी है।
- इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण (industry relevant skill training) प्रदान कर उन्हें एक बेहतर आजीविका हासिल करने में सक्षम बनाने हेतु मदद करना है।

योजना के बारे में

- **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** और उद्योग पर आधारित मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत, बाह्य आकलन निकायों (third party assessment bodies) द्वारा प्रशिक्षुओं के आकलन और प्रमाणन के बाद उन्हें **मौद्रिक पारितोषिक** दिया जाता है। औसत मौद्रिक इनाम प्रति प्रशिक्षु 8000 के आसपास होगा।
- पूर्व शिक्षा अनुभव या कौशलयुक्त व्यक्तियों के मामले में भी पूर्व शिक्षा की पहचान **(Recognition of Prior Learning :RPL)** के अधीन अर्जित लोगों के अनौपचारिक कौशल को भी प्रमाणित किया जाएगा।

पात्र लाभार्थी

इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप, यह योजना भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए लागू है, जो :

- एक पात्र प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा एक पात्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करे।
- इस योजना के शुभारंभ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो।
- यह मौद्रिक पारितोषिक इस योजना के संचालन के दौरान केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।

5.3.2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

(The National Apprenticeship Promotion Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) को मंजूरी दे दी है। 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

योजना की मुख्य विशेषताएं

- एक प्रशिक्षु को देय कुल राशि (stipend payable) का 25 प्रतिशत तथा उनके बुनियादी प्रशिक्षण हेतु वहन किए जाने वाले कुल खर्च के 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे नियोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (Director General of Training) द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा।
- MSME क्षेत्र के लिए: यह योजना आंतरिक प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता की स्थिति में थर्ड पार्टी एजेंसियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- नियोक्ता एवं प्रशिक्षु द्वारा पंजीकरण, अनुबंध का पंजीकरण तथा नियोक्ताओं को भुगतान सहित सभी लेनदेन आदि ऑनलाइन मोड में किये जायेंगे।

5.3.3. कौशल बैंक

(Skill Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उत्तरप्रदेश और बिहार में सरकार 50 वैश्विक कौशल बैंक (प्रशिक्षण केंद्रों) की स्थापना कर रही है। इनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 110 प्रकार की नौकरियों के लिए संभावित अप्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे पहले चयन इन राज्यों में विद्यमान उसके उच्च जनसंख्या और विदेशों में रोजगार के लिए अधिकतम प्रवास के रिकॉर्ड के कारण किया गया है।

उद्देश्य

- ये प्रशिक्षण केन्द्र औषधि और स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य, आईटी, निर्माण, ऑटोमोबाइल और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करेंगे। इन क्षेत्रों में या तो रोजगार के अवसर विद्यमान हैं या भविष्य में बढ़ने की संभावना है।
- उत्प्रवास से पहले, **इन कौशल बैंकों में प्रशिक्षित युवाओं को संबंधित स्थानीय संस्कृति, कार्य नैतिकता और देश की भाषा से परिचित कराया** जाएगा।
- भारत को **विश्व की "मानव संसाधन राजधानी" ब**नाना है।

5.3.4. तेजस्विनी परियोजना

(Tejaswini Project)

- इसका लक्ष्य किशोरियों और नवयुवतियों (14 से 24 वर्ष के बीच) को बुनियादी जीवन कौशल से सशक्त बनाना है और इसके साथ ही उन्हें अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरी करने और बाजार संचालित कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को विश्व-बैंक द्वारा वर्ष 2016 में स्वीकृत किया गया था।
- विश्व बैंक और भारत सरकार ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) से 63 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए एक वित्तीयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना को झारखण्ड के 17 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा और इस कार्यक्रम से लगभग 6.8 लाख किशोरियों और नवयुवतियों के लाभान्वित होने की आशा है।
- इसके 3 मुख्य घटक हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

✓ सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करना।

✓ सघन सेवा वितरण।

✓ राज्य की क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन में सहयोग।

- भारत में विश्व-बैंक की यह पहली ऐसी परियोजना है जिसका पूरा ध्यान किशोरियों और नवयुवतियों के कल्याण पर केन्द्रित है।

5.4 नेशनल करियर सर्विस

(National Career Service: NCS)

- 2015 से श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) द्वारा इस सर्विस का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रोजगार विनिमय केंद्र (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) एवं अन्य संस्थानों को जोड़ना है।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य जॉब पोस्टिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, कौशल पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता (अप्रेन्टस्शिप) आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवायें प्रदान करना है।
- ये सेवाएं नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले- दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- NCS सेवा, रोजगार विनिमय केन्द्रों/करियर सेंटर तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
- NCS प्रोजेक्ट के तहत रोजगार सेवाओं के वितरण हेतु राज्यों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से 100 मॉडल करियर सेंटर (MCCs) स्थापित किये जा रहे हैं।

5.5 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

(Prime Minister's Employment Generation Programme)

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की एक योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) योजनाओं का विलय कर 2008-09 में आरम्भ की गई थी।
- इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार सृजन करना है।
- यह भारत सरकार की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जो पहली पीढ़ी (first generation) के उद्यमियों को नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु सशक्त बनाता है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य KVI बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र (DIC) क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं।
- इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई आय सीमा(सिलिंग) नहीं है।

5.6 स्फूर्ति

(SFURTI)

- **स्कीम ऑफ़ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI)** 2005-06 में आरम्भ की गयी थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर में व्यवस्थित कर पारंपरिक उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग (VI) उत्पादों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु एक नोडल एजेंसी है।
- इस योजना को पुन:व्यवस्थित किया गया है जिसके तहत तीन प्रकार के समूह (क्लस्टर) होंगे- हेरिटेज, मेजर(major), मिनी(mini)।
- **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक सांविधिक संस्था है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है।

5.7 कॉयर उद्यमी योजना

(Coir Udyami Yojana)

- यह कॉयर क्षेत्र में एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है (पहले REMOT- रिजूवनैशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रडेशन नाम से जाना जाता था)
- इस योजना में ऐसे सभी कॉयर प्रोजेक्ट को कवर किया गया है जिसमें परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक हो तथा इसके साथ कार्यशील पूंजी हो। यह कार्यशील पूंजी परियोजना की कुल लागत के 25% से अधिक नहीं होगी।
- इस योजना के तहत ऋण प्राप्त हेतु किसी प्रकार की जमानत/थर्ड पार्टी (collateral/third party) गारंटी की आवश्यता नहीं है।
- इस योजना के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

✓ लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का 5% होगा।

✓ बैंक क्रेडिट 55% होगा।

✓ सब्सिडी की दर परियोजना की 40% होगी।

- यह योजना व्यक्तियों, कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, उत्पादन सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूह और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए उपलब्ध है।

6. समावेशी संवृद्धि और विकास

(INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT)

6.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का प्रदर्शन

(Performance of Pradhan Mantri Ujjawala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- PMUY ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के सिर्फ 8 महीनों में 1.5 करोड़ LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है।
- PMUY के तहत, राष्ट्रीय LPG कवरेज 61% (जनवरी 2016) से बढ़ाकर 70% (दिसंबर 2016) कर दिया गया है।

PMUY क्या है?

- यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पहली कल्याण योजना है।
- इस योजना की 3 वर्षों (2016-19) की क्रियान्वयन अवधि के भीतर कुल मिलाकर 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- PMUY योजना के तहत सामजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित बीपीएल परिवार की स्त्री मुखिया के नाम पर मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करती है।

6.2. अटल पेंशन योजना (APY)

(Atal Pension Yojana [APY])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- APY अपने प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक अपने प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लक्ष्यों का क्रमशः 6.07% और 11.7% ही प्राप्त कर पाए हैं।

APY क्या है?

- यह सभी भारतीयों के लिए एक **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम** है। यह मई 2015 से लागू है।
- APY के तहत, सरकार ने 31 मार्च 2016 से पहले नामांकन करने वाले व्यक्तियों को पहले पांच वर्षों के लिए पॉलिसी की राशि के 50% (अधिकतम 1000 रुपये तक) का सह-योगदान दिया है। इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को दिया गया जो आयकर दाता नहीं हैं।
- APY स्वावलंबन योजना का स्थान लेगा।
- सरकार ने APY के साथ-साथ 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का भी शुभारंभ किया है।

6.3. कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की पेशकश

(Incentives Offered for Textile Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में अगले तीन साल में एक करोड़ रोजगार (मुख्यतः महिलाओं के लिए) के अवसर पैदा करने के लिए **6,000 करोड़ रुपये के एक विशेष पैकेज** घोषणा की है।

पैकेज में क्या है?

- इस पैकेज में कई कर और उत्पादन प्रोत्साहन शामिल हैं। यह पैकेज इस क्षेत्र को और अधिक लचीले श्रम कानून और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- **कर्मचारी भविष्य निधि**: भारत सरकार 15,000 रूपए प्रतिमाह से कम कमाने वाले परिधान उद्योग के नए कर्मचारियों हेतु प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के नियोक्ता अंशदान का समग्र 12% वहन करेगी।

VISION IAS

- **एक नई योजना:** अभी तक रिफंड नहीं की गई राज्य लेवियों का रिफंड करने के लिए एक नई योजना लायी जाएगी। 6000 करोड़ रूपए के पैकेज में से 5500 करोड़ रूपए परिधान क्षेत्र में एक अतिरिक्त 5% शुल्क ड्राबैक के लिए प्रयोग किये जाएंगे।
- इनपुट पर अदा किए गए घरेलू शुल्क के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट पर अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत फैब्रिक का आयात करने पर भी ड्रॉबैक प्रदान किया जाएगा।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान क्षेत्र के लिए सब्सिडी को 15 % से बढ़ाकर 25 % किया जायेगा।
- इनपुट आधारित प्रोत्साहन से आउटकम आधारित प्रोत्साहन में जाने के लिए संभावित नौकरियों का सृजन होने के पश्चात ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

- मौजूदा रिवाइज्ड रीस्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (Revised Restructured Technology Upgradation Fund Scheme: RR-TUFS) के स्थान पर आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने इसे मंजूरी दी है।
- नई योजना विशेष रूप से लक्षित करती है:
  - ✓ रोजगार सृजन और निर्यात
  - ✓ टेक्निकल टेक्सटाइल्स (एक सनराइज सेक्टर) का संवर्धन
  - ✓ मौजूदा लूम्स (looms) को बेहतर प्रौद्योगिकी युक्त लूम्स में रूपांतरण हेतु प्रोत्साहित करना
  - ✓ प्रसंस्करण उद्योग में बेहतर गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और कपड़ों के आयात की आवश्यकता पर ध्यान देना
- इसके तहत, दो व्यापक श्रेणियां होंगी:
  - ✓ अपैरल (Apparel), गारमेंट (Garment) और टेक्निकल टेक्सटाइल (Technical Textile), जहां पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी
  - ✓ शेष उप-क्षेत्रक - 10% सब्सिडी दी जाएगी

6.4. वित्तीय समावेशन

(Financial Inclusion)

6.4.1. 94.4% परिवारों में बैंक खाते

(94.4% Households Have Bank Accounts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** से पता चला है कि 2015-16 में लगभग 94.4 फीसदी परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे।
- यह आंकड़े 2011 की जनगणना के सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार **58.7 फीसदी** भारतीय परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे ।

मुख्य तथ्य

- 93.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 96.8 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास एक बचत बैंक खाता था।
- बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से कम थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक संभवतः प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इस उपलब्धि में विशेष भूमिका निभाई है।

6.4.2. ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट 2016

(Global Microscope Report 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट 2016 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- यह रिपोर्ट 55 देशों में 12 विभिन्न संकेतकों के आधार पर वित्तीय समावेशन के लिए विनियामकीय वातावरण का आकलन करता है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में शुरू की गयी प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रमुख उत्प्रेरक का कार्य किया है।
- इस योजना के तहत अकेले वर्ष 2014 में निम्न आय वाले परिवारों के लिए 100 मिलियन खातों को खोलने में मदद मिली। राष्ट्रीय बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम अर्थात् आधार द्वारा इसे सहायता प्रदान की गयी। इस योजना के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या अप्रैल 2016 तक बढ़कर 221 मिलियन (22.1 करोड़) हो गयी।
- इस माइक्रोस्कोप को मूल रूप से लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्रों के देशों के लिए वर्ष 2007 में विकसित किया गया था। वैश्विक अध्ययन के लिए 2009 में इसे विस्तारित किया गया। इस कार्य हेतु मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट फंड (MIF); द सेण्टर फॉर फाइनेंसियल इन्क्लूज़न, ऐक्सियन (Accion); और मेटलाइफ़ फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है।

6.5. "सभी के लिए आवास"

("Housing for All")

6.5.1.ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास"

("Housing for All" in Rural Areas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" योजना का शुभारंभ किया।
- इस योजना के तहत 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" योजना के बारे में

- इसे प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) - PMAY-G के नाम से जाना जाएगा।
- परियोजना की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।
- दिल्ली और चंडीगढ़ दो ऐसे शहर हैं, जो इस योजना के तहत सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।
- इसके पहले चरण में मार्च 2019 तक एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है।
- इस कार्यक्रम के तहत गरीब परिवारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और साथ ही भविष्य में लाभार्थियों के सही चयन एवं कार्य की प्रगति की पुष्टि के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

प्रावधान

- यदि लाभार्थी की इच्छा होगी तो उसके लिए 70,000 रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है।
- **लाभार्थियों का चयन** – एक पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लाभान्वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत 2019 तक 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों (**Masons**) के लिए कौशल प्रदान करने का प्रावधान है और साथ ही देश में हाउसिंग टाइपोलोजी (typologies), पर्यावरणीय खतरों और परिवारों के आवश्यकतानुसार किए गए एक विस्तृत अध्ययन के आधार पर देश भर में 200 से अधिक भवन डिजाइन की अनुमति दी गयी है।
- स्थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग के साथ रसोई, बिजली कनेक्शन, LPG, स्नानघर व शौचालय के प्रावधानों से युक्त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया गया है।
- **भुगतान प्रक्रिया-** पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी की अनुमति के उपरांत उसके आधार से जुड़े बैंक खातों में IT/DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रधान मंत्री द्वारा नव वर्ष पर को गयी घोषणाएं

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनने वाले आवासों की संख्या में **33 प्रतिशत** की वृद्धि की जाएगी।
- 2017 में नए आवास के निर्माण के लिए गए 2 लाख रुपए तक के ऋण, या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के विस्तार हेतु ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

VISION IAS

6.5.2. PMAY- शहरी घटक

(PMAY-URBAN COMPONENT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यवर्गीय परिवारों और गरीबों को घर खरीदने या निर्माण में मदद करने हेतु दो नयी आवास योजनाओं की घोषणा की है।

PMAY मिशन को 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। यह राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्न उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है :

- निजी भागीदारी के माध्यम से एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए मौजूदा झुग्गी निवासियों का इन-सीटू पुनर्वास।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
- साझेदारी में सस्ते आवासन की सुविधा।
- लाभार्थी की अगुवाई वाली व्यक्तिगत आवास निर्माण / वृद्धि के लिए सब्सिडी।

हाल ही में सरकार ने इस लेख में दिए गए प्रावधानों को अधिक उदार बना दिया है।

प्रधान मंत्री द्वारा नव वर्ष पर की गयी घोषणाएं

- ग्रामीण भारत और शहरी गरीबों को गृह के निर्माण या विस्तार करने के लिए सब्सिडीकृत ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 9 लाख रुपए तक के ऋण पर 4% की ब्याज दर और 12 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज दर की छूट दी जाएगी।
- **2022** तक सभी के लिए आवास की नई योजना के अंतर्गत **EWS** (economically weaker sections) के लिए प्रति गृह के लिए केंद्रीय सहायता की योजना बनाई गई है। जिसमें सहायता राशि **70,000** रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गयी है।

6.6.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

(National Food Security Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र ने अधिसूचित किया है कि केरल और तमिलनाडु के सम्मिलित होने से अब संपूर्ण देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत शामिल हो गया है।
- इस कदम के चलते अब 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त होगा।

पृष्ठभूमि

- लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम आवश्यक अनाज और खाद्यानों को 1, 2 और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है।
- PDS के अंतर्गत लाभार्थियों के दो प्रकार हैं: AAY (अंत्योदय अन्न योजना, वर्ष 2000 में प्रारंभ) और प्राथमिकता वाले परिवार (priority households)।
- प्रत्येक AAY परिवार हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हक़दार हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (BPL परिवार) हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न की मात्रा पाने के हकदार हैं।

6.7. इंडिया रेस्पोंसिबल बिजनेस इंडेक्स

(India Responsible Business Index)

- यह 2015 में प्रारंभ किया गया एक मापदंड है, जिसको यह अवलोकित करने हेतु प्रारंभ किया गया है कि कोई कंपनी सामाजिक रूप से कितनी समावेशी है।
- ऑक्सफैम इंडिया, कॉर्पोरेट रिस्पान्सबिलिटी वाच, प्रैक्सिस और पार्टनर इन चेंज का गैर-लाभकारी सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह सूचकांक, कारोबारियों द्वारा ऐसे वातावरण के निर्माण के प्रयास को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें श्रमिकों और आपूर्ति श्रंखला के अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है।

- यह BSE में सूचीबद्ध सर्वोच्च 100 कम्पनियों के प्रदर्शन को, पांच मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग करती है:
- आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता
- व्यापार में एक भागीदार के रूप में समुदाय
- सामुदायिक विकास
- कर्मचारी की गरिमा और मानवाधिकारों का सम्मान
- कार्यस्थल पर भेदभाव रहित वातावरण
- वर्ष 2016 के सूचकांक में इन सभी मानदंडों में अत्यल्प सुधार देखा गया है।

6.8.MSME सेक्टर के लिए प्रारम्भ की गईं पहलें

(Initiatives in MSME sector)

6.8.1. भारतीय उद्यम विकास सेवा (IEDS)

(Indian Enterprise Development Service [IEDS])

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) के अधीन विकास आयुक्त के कार्यालय में IEDS के सृजन को मंजूरी दी है।

IEDS की मुख्य विशेषताएं

- इसके तहत संयुक्त सचिव के स्तर के 6 अधिकारियों सहित 617 अधिकारियों का कैडर बल होगा।
- यह 11 ट्रेड्स को सम्मिलित कर बनाया जाएगा जिसके लिए भर्ती विभिन्न नियमों के माध्यम से की जाएगी।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और विकास आयुक्त के 72 क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे।
- 72 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 30 MSME विकास संस्थान और 28 शाखा संस्थान होंगे।

6.8.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति हब

(National SC/ST Hub)

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके बीच उद्यम संस्कृति और उद्यमशीलता का संवर्धन करना है।
- यह, बाजार उपलब्धता/संपर्क, क्षमता निर्माण, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने, उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने और वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की दिशा में काम करेगा।
- इससे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्य पूरा करना संभव होगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 कहती है कि मंत्रालयों विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से करना होगा।

6.8.3 जीरो डिफेक्ट-जीरो इफ़ेक्ट (ZED) स्कीम

(Zero Defect-Zero Effect Scheme)

- ZED योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए सभी MSMEs की श्रेणी निर्धारित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक उद्योग के लिए क्षेत्रक विशिष्ट मानक होंगे।
- यह योजना केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी आधारशिला बनेगी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृजन करना, विकास को बढ़ावा देना और आय बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त, इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास और कार्यान्वयन का संवर्धन होगा।

6.8.4. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

(Trade Receivables Discounting System [TREDS])

यह क्या है?

- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) कई फाइनेंसरों के जरिए कॉर्पोरेट खरीददारों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक संस्थागत प्रक्रिया है।

VISION IAS

ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं?
किसी भी समय एक व्यापार के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स का कुल मूल्य उस बिक्री राशि को प्रदर्शित करता है जिसका भुगतान ग्राहकों के द्वारा नहीं किया गया है।

TReDS का उद्देश्य

- **इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज** का सृजन करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलों को स्वीकार और भुगतान कर सकें। यह MSMEs को बिना देरी के उनके भुगतान (रिसीवेबल्स) को प्राप्त करने सक्षम बनाएगा।
- TReDS बिल (invoice) के साथ बिल ऑफ़ एक्सचेंज के बट्टाकरण में सुविधा प्रदान करेगा।

6.9. घरेलू आस्तियां और ऋणग्रस्तता

(Household Assets and Indebtedness)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- NSSO का दिसंबर 2016 में जारी घरेलू आस्तियों और ऋणग्रस्तता पर 70वें दौर का सर्वेक्षण बढ़ते ऋण उद्ग्रहण (credit uptake) और वृद्धिशील घरेलू ऋण पर प्रकाश डालता है।
- 2002-12 के NSSO के आंकड़ों के विश्लेषण से ऋण उद्ग्रहण और तत्परिणामी ऋण बोझ में अभूतपूर्व वृद्धि का पता चलता है।

NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन)

- यह अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण के लिए सरकार की मुख्य एजेंसी है।
- यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर व्यापक नमूना सर्वेक्षण संचालित करता है।
- इस निकाय की स्थापना 1950 में वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के रूप में की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है और वर्तमान में यह **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के अधीन है।

- ऋण की राशि (AOD) 2003 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7539 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 11,771 रुपये से बढ़कर क्रमश: 1.03 लाख रुपये और 3.78 लाख रुपये हो गई है।
- इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण उद्ग्रहण किस प्रकार ग्रामीण और शहरी परिवारों में बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के बीच सर्वाधिक था।